



कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित
“वन धन भवन” सेक्टर 24, नवा रायपुर, अटल नगर
फोन नंबर 0771- 2513100 से 2513110
E-mail: mfpfed.cg@nic.in Website: www.cgmfpfed.org

अधिसूचना क्रमांक/संघ/व्यापार/न्यू.स.मू./2021/X

दिनांक 28.06.2021

भारत सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत संग्रहित एवं भंडारित वर्ष 2021 का साल बीज, वर्ष 2020 सीजन का आटी इमली, 2021 सीजन का आटी इमली, वर्ष 2019 सीजन का फूल इमली (बीज रहित), 2020 सीजन का फूल इमली (बीज रहित), 2021 सीजन का फूल इमली (बीज रहित), वर्ष 2020 सीजन का इमली बीज, वर्ष 2021 सीजन का इमली बीज, वर्ष 2020-21 सीजन का भेलवा, वर्ष 2021 सीजन का भेलवा, वर्ष 2021 का कोरिया छाल, वर्ष 2020 सीजन का बहेड़ा, वर्ष 2020 सीजन का बहेड़ा कचरिया, वर्ष 2019-20 सीजन का बहेड़ा कचरिया, वर्ष 2020-21 सीजन का जामुन पत्प, वर्ष 2019-20 सीजन का गिलोय, वर्ष 2020-21 सीजन का गिलोय, वर्ष 2020-21 सीजन का कालमेघ, वर्ष 2020-21 सीजन का हर्रा, वर्ष 2020-21 सीजन का हर्रा कचरिया, वर्ष 2021 सीजन का वन तुलसी, वर्ष 2020-21 सीजन का पुवाड़ (चरोटा), वर्ष 2021 सीजन का बेल गुदा, वर्ष 2021-22 सीजन का वन जीरा, वर्ष 2020 सीजन का पताल कुम्हड़ा (बेदारी कंद), वर्ष 2021-22 सीजन का महुआ फूल, वर्ष 2020-21 सीजन का जामुन बीज सूखा, वर्ष 2020 सीजन का चिरौंजी गुठली, वर्ष 2021 सीजन का चिरौंजी गुठली ग्रेड 'ए', 'बी', वर्ष 2021 सीजन का धवई फूल, वर्ष 2021 सीजन का माहुल पत्ता, वर्ष 2020-21 सीजन का कुल्लु गोंद, वर्ष 2021 सीजन का सतावर (सूखा), वर्ष 2021-22 सीजन का पलाश फूल, वर्ष 2020 सीजन का इमली ब्रिक्स (500 ग्रा. का पैकेट), वर्ष 2020-21 सीजन का फूल झाडू प्लास्टिक केन वाली, वर्ष 2020-21 सीजन का फूल झाडू प्लास्टिक पाईप वाली, वर्ष 2018 सीजन का कुसुमी लाख प्रसंस्कृत दाना, वर्ष 2021 सीजन का रंगीनी लाख प्रसंस्कृत दाना, काजू, वर्ष 2020-21 सीजन का चिरौंजी दाना व महुआ तेल (लिटर में) के विक्रय हेतु

ऑनलाइन ई-निविदा सूचना

प्राककथन

- छत्तीसगढ़ शासन (जिससे इसके पश्चात् शासन कहा गया है), द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर, (जिससे इसके पश्चात् संघ कहा गया है), को राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में भारत शासन की 'Marketing & Development of MFP through MSP' एवं अन्य योजना के अंतर्गत क्रय आटी इमली, फूल इमली (बीज रहित), इमली बीज, जामुन पत्प, भेलवा, बहेड़ा, बहेड़ा कचरिया, गिलोय, कालमेघ, हर्रा, हर्रा कचरिया, वन तुलसी, पुवाड़ (चरोटा), बेल गुदा, पताल कुम्हड़ा (बेदारी कंद), कोरिया छाल, जामुन बीज (सूखा), चिरौंजी गुठली, धवई फूल, इन्द्र जौ, माहुल पत्ता, कुल्लु गोंद, सतावर (सूखा), पलाश फूल, वन जीरा, इमली ब्रिक्स (500ग्रा. का पैकेट), काजु, चिरौंजी दाना, फूल झाडू प्लास्टिक केन वाली, फूल झाडू प्लास्टिक पाईप वाली, रंगीनी लाख दाना, कुसुमी लाख दाना एवं महुआ तेल के संग्रहण, क्रय एवं व्यापार हेतु अधिकृत किया है।

- उक्त योजना अन्तर्गत विभिन्न वर्षों में संघ द्वारा प्रदेश की प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्थाओं (जिससे इसके पश्चात् प्राथमिक समिति कहा गया है), जिनमें राज्य शासन एक अंशधारक है, के द्वारा आटी इमली, फूल इमली (बीज रहित), इमली बीज, जामुन पत्प, भेलवा, बहेड़ा, बहेड़ा कचरिया, गिलोय, कालमेघ, हर्रा, हर्रा कचरिया, वन तुलसी, पुवाड़ (चरोटा), बेल गुदा, पताल कुम्हड़ा (बेदारी कंद), कोरिया छाल, जामुन बीज (सूखा), चिरौंजी गुठली, धवई फूल, इन्द्र जौ, माहुल पत्ता, कुल्लु गोंद, सतावर (सूखा), पलाश फूल, वन जीरा, इमली ब्रिक्स (500ग्रा. का पैकेट), काजु, चिरौंजी दाना, फूल झाडू प्लास्टिक केन वाली, फूल झाडू प्लास्टिक पाईप वाली, रंगीनी

लाख दाना, कुसुमी लाख दाना एवं महुआ तेल जिला वनोपज सहकारी यूनियन (जिसे इसके पश्चात जिला यूनियन कहा गया है), के परिवेशण में, क्रय कर भंडारित कराया गया है।

- शासन के अदेशानुसार, संग्रहकों द्वारा संग्रहण केन्द्रों पर लाए गए आटी इमली, फूल इमली (बीज रहित), इमली बीज, जामुन पल्प, भेलवा, बहेड़ा, बहेड़ा कचरिया, गिलोय, कालमेघ, हर्रा, हर्रा कचरिया, वन तुलसी, पुवाड़ (चरोटा), बेल गुदा, पताल कुम्हड़ा (बिदारी कंद), कोरिया छाल, जामुन बीज (सूखा), चिरौंजी गुठली, धवई फूल, इन्द्र जौ, माहुल पत्ता, कुल्लु गोंद, सतावर (सूखा), पलाश फूल, वन जीरा, इमली ब्रिक्स (500ग्रा. का पैकेट), काजु, चिरौंजी दाना, फूल झाड़ू प्लास्टिक केन वाली, फूल झाड़ू प्लास्टिक पाईप वाली, रंगीनी लाख दाना, कुसुमी लाख दाना एवं महुआ तेल भारत शासन की 'Marketing & Development of MFP through MSP' योजनान्तर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एवं अन्य योजना के अंतर्गत क्रय मूल्य का भुगतान कर प्राथमिक समितियों के द्वारा आटी इमली, फूल इमली (बीज रहित), इमली बीज, जामुन पल्प, भेलवा, बहेड़ा, बहेड़ा कचरिया, गिलोय, कालमेघ, हर्रा, हर्रा कचरिया, वन तुलसी, पुवाड़ (चरोटा), बेल गुदा, पताल कुम्हड़ा (बिदारी कंद), कोरिया छाल, जामुन बीज (सूखा), चिरौंजी गुठली, धवई फूल, इन्द्र जौ, माहुल पत्ता, कुल्लु गोंद, सतावर (सूखा), पलाश फूल, वन जीरा, इमली ब्रिक्स (500ग्रा. का पैकेट), काजु, चिरौंजी दाना, फूल झाड़ू प्लास्टिक केन वाली, फूल झाड़ू प्लास्टिक पाईप वाली, रंगीनी लाख दाना, कुसुमी लाख दाना एवं महुआ तेल का क्रय कर भंडारित किया गया है।

अतएव उक्त योजनान्तर्गत संग्रहित एवं भंडारित आटी इमली, फूल इमली (बीज रहित), इमली बीज, जामुन पल्प, भेलवा, बहेड़ा, बहेड़ा कचरिया, गिलोय, कालमेघ, हर्रा, हर्रा कचरिया, वन तुलसी, पुवाड़ (चरोटा), बेल गुदा, पताल कुम्हड़ा (बिदारी कंद), कोरिया छाल, जामुन बीज (सूखा), चिरौंजी गुठली, धवई फूल, इन्द्र जौ, माहुल पत्ता, कुल्लु गोंद, सतावर (सूखा), पलाश फूल, वन जीरा, इमली ब्रिक्स (500ग्रा. का पैकेट), काजु, चिरौंजी दाना, फूल झाड़ू प्लास्टिक केन वाली, फूल झाड़ू प्लास्टिक पाईप वाली, रंगीनी लाख दाना, कुसुमी लाख दाना एवं महुआ तेल के क्रय के लिए संघ इच्छुक व्यक्तियों / पंजीकृत फर्मों / विधिक कंपनियों से ई-निविदा में भाग लेने हेतु आमंत्रित करता है। ई-निविदा सूचना (परिशिष्ट-I से IX तक तथा अनुसूची सहित) संघ की वेबसाईट www.cgmfpfed.org तथा आनलाईन ई-निविदा के सर्विस प्रोवाईडर के पोर्टल <https://cgmfpfed.abcprocure.com> से निम्नानुसार तिथि से डाउनलोड किये जा सकते हैं:-

परिशिष्ट-I (निबंधन एवं शर्तें)

अनुसूची (वनोपज की लाट सूची)

परिशिष्ट-II (निविदा प्रत्रक)

परिशिष्ट-IV (निविदाकार का करारनामा)

परिशिष्ट - VIII (निविदाकारों को ई-निविदा में भाग लेने हेतु अनुदेश)

(Time Schedule) परिशिष्ट - IX

चक्र	जिस तिथि से ई-निविदा सूचना डाउनलोड की जा सकती हैं	ई-निविदा प्रारम्भ होने की तिथि एवं समय	ई-निविदा समाप्त होने की तिथि एवं समय	ऑनलाईन ई-निविदा खोलने की तिथि
प्रथम चक्र	09.07.2021	19.07.2021 प्रातः 11:00 बजे से	22.07.2021 सायंकाल 4:00 बजे तक	22.07.2021 सायंकाल 4:10 बजे से
द्वितीय चक्र	07.08.2021	16.08.2021 प्रातः 11:00 बजे से	18.08.2021 सायंकाल 4:00 बजे तक	18.08.2021 सायंकाल 4:10 बजे से
तृतीय चक्र	10.09.2021	20.09.2021 प्रातः 11:00 बजे से	22.09.2021 सायंकाल 4:00 बजे तक	22.09.2021 सायंकाल 4:10 बजे से

2. परिभाषायें, ई-निविदा के निबंधन एवं शर्तें निविदाकार के लिए निर्देश -

इस सूचना, इसकी अनुसूची एवं इसके विभिन्न परिशिष्टों में प्रयोग में लाये गये विभिन्न शब्दों एवं अभिव्यक्तियों की परिभाषायें, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो परिशिष्ट-I में सम्मिलित "ई-निविदा के निबंधन एवं शर्तें तथा निविदाकारों के लिए निर्देश", में दिए गए अनुसार होंगी। ये "ई-निविदा के निबंधन एवं शर्तें तथा निविदाकारों के लिए निर्देश" इस ई-निविदा सूचना के अभिन्न अंग हैं और यह समझा जावेगा कि इस सूचना में समस्त प्रयोजनों के लिये सम्मिलित हैं।

3. लाट सूची एवं करार अवधि -

आटी इमली, फूल इमली (बीज रहित), इमली बीज, जामुन पल्प, भेलवा, बहेड़ा कचरिया, गिलोय, कालमेघ, हर्रा, हर्रा कचरिया, वन तुलसी, पुवाड़ (चरोटा), बेल गुदा, पताल कुम्हड़ा (बिदारी कंद), कोरिया छाल, जामुन बीज (सूखा), चिरौंजी गुठली, धवई फूल, इन्द्र जौ, माहुल पत्ता, कुल्लु गोंद, सतावर (सूखा), पलाश फूल, वन जीरा, इमली ब्रिक्स (500ग्रा. का पैकेट), काजु, चिरौंजी दाना, फूल झाड़ू प्लास्टिक केन वाली, फूल झाड़ू प्लास्टिक पाईप वाली, रंगीनी लाख दाना, कुसुमी लाख दाना एवं महुआ तेल की मात्रा के क्रय के लिये प्रथम चक्र हेतु दिनांक

15.11.2021, द्वितीय चक्र हेतु दिनांक 14.12.2021 एवं तृतीय चक्र हेतु दिनांक 14.01.2022 को समाप्त होने वाली करार अवधि के लिये एतद् द्वारा ई-निविदा आयोजित की जाती है।

4. निविदा पत्र आदि -

परिशिष्ट-V
(निविदाकारवार आवंटित लाटों की सूची)

परिशिष्ट-VI
(सफल निविदाकारों की सूची)

परिशिष्ट-VII
(असफल निविदाकारों की सूची)

परिशिष्ट-IV
(क्रेता का करारनामा)

(I) निविदा पत्र (परिशिष्ट-II फार्म 1, 2 एवं 3) तथा निविदाकार का करारनामा (परिशिष्ट-IV) मय परिशिष्टों के संघ की ऊपर दर्शित वेबसाइट अथवा ऑनलाइन पोर्टल <https://cgmfpfed.abcpurchase.com> से डाउनलोड किये जा सकते हैं।

(II) निविदाकार स्वयं यह सत्यापित एवं सुनिश्चित करेगा कि उसने निविदा पत्र के साथ निविदाकार का करारनामा प्रस्तुत कर दिया है क्योंकि निविदा के साथ सम्यक् रूप से निष्पादित निविदाकार का करारनामा संलग्न करना अनिवार्य है।

5. निविदाओं का प्रस्तुतिकरण -

(I) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139A के अनुसार निविदाकार को स्थाई आयकर क्रमांक (PAN) निविदा पत्र में (निर्धारित स्थान पर) अंकित करना एवं PAN कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

(II) भारतीय वरिष्ठ पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। व्यक्तिगत एवं प्रोपराइटर शीप की स्थिति में स्वयं या प्रोपराइटर का आधार कार्ड, भागीदारी फर्म की स्थिति में दों भागीदारों का आधार कार्ड, कंपनी की स्थिति में 2 संचालकों का आधार कार्ड एवं अविभाजित हिन्दु परिवार (एच.यू.एफ) की स्थिति में कर्ता और एक व्यक्ति परिवार सदस्य का संलग्न करना अनिवार्य है।

(IV) निविदाकारों को आनलाइन निविदायें भरने हेतु विस्तृत अनुदेश (परिशिष्ट-VIII) तथा विस्तृत Manual ई-प्रोक्यूरमेन्ट पोर्टल <https://cgmfpfed.abcpurchase.com> में उपलब्ध होगा तथा आनलाइन निविदायें Time Schedule (परिशिष्ट-IX) में दर्शित दिनांक एवं समय के अनुसार प्रस्तुत की जावेंगी।

(IV) निविदाकार को (GSTIN) सर्टिफिकेट संलग्न करना अनिवार्य है।

6. निविदाओं का खोला जाना -

प्राप्त निविदायें Time Schedule (परिशिष्ट-IX) में अंकित दिनांक एवं समय के अनुसार खोली जावेंगी।

7. क्रेता करारनामा का निष्पादन -

(I) ई-निविदा में लिये गये निर्णय अनुसार सफल निविदाकारों को आवंटित लाटों की सूची संघ की बेवसाइट पर परिशिष्ट-V में उपलब्ध रहेगी। सफल निविदाकारों की सूची एवं असफल निविदाकारों की सूची संघ की बेवसाइट www.cgmfpfed.org पर क्रमशः परिशिष्ट-VI एवं परिशिष्ट-VII में उपलब्ध रहेगी। सफल निविदाकार का प्रस्ताव के स्वीकृत होने की सूचना ई-मेल द्वारा दी जावेगी और ऐसी स्वीकृति जारी होने की तिथि से सम्बंधित आठी इमली, फूल इमली (बीज रहित), इमली बीज, जामुन पत्त्य, भेलवा, बहेड़ा, बहेड़ा कचरिया, गिलोय, कालमेघ, हरा, हरा कचरिया, वन तुलसी, पुवाड़ (चरोटा), बेल गुदा, पताल कुम्हड़ा (बिदारी कंद), कोरिया छाल, जामुन बीज (सूखा), चिरौंजी गुठली, धवई फूल, इन्द्र जौ, माहुल पत्ता, कुल्लु गोंद, सतावर (सूखा), पलाश फूल, वन जीरा, इमली ब्रिक्स (500ग्रा. का पैकेट), काजु, चिरौंजी दाना, फूल झाड़ू प्लास्टिक केन वाली, फूल झाड़ू प्लास्टिक पाईप वाली, रंगीनी लाख दाना, कुसुमी लाख दाना एवं महुआ तेल के लाट के क्रय की संविदा निविदाकार और संघ के बीच अस्तित्व में आ गई मानी जावेगी एवं निविदाकार लाट का क्रेता माना जावेगा।

(II) सफल निविदाकार को, उसके प्रस्ताव की संघ द्वारा स्वीकृति जारी किये जाने के 21 दिन के अन्दर, प्रत्येक लाट के लिए परिशिष्ट-IV (क्रेता का करारनामा) में दिये गये प्रपत्र

में करारनामा प्रबंध संचालक, जिला यूनियन अथवा उनके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति के समक्ष अथवा ऑनलाईन माध्यम से, (**Digital Signature Certificate**) DSC का उपयोग करते हुये (ऑनलाईन निविदा निष्पादन की शर्त क्रमांक 15 में दर्शिते) निष्पादित करना होगा। निविदाकार के द्वारा 5000/- रुपये बतौर फीस जमा किये जाने पर इस अवधि में प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के द्वारा 15 दिन की वृद्धि की जा सकेगी। इस प्रकार 21वां दिन / 15वां दिन यदि सार्वजनिक अवकाश रहता है तो करारनामा निष्पादन आगामी कार्य दिवस में किया जा सकेगा। 21 दिन /15 दिन की अवधि की गणना संघ मुख्यालय से आदेश जारी होने की तिथि के आगामी दिन से की जावेगी।

(IV) करारनामे के निष्पादन नहीं किये जाने की स्थिति में क्रेता की नियुक्ति प्रबंध संचालक जिला यूनियन द्वारा निरस्त की जा सकेगी और ऐसे निरस्तीकरण पर सम्बंधित इकाई के क्रय मूल्य के 10% की राशि सत्यंकार की राशि में से अधिहरण कर ली जायेगी और मुख्य वन संरक्षक द्वारा निविदाकार को ऐसी अवधि के लिये काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा जो 3 वर्ष तक हो सकती है। इसके अतिरिक्त यदि लाट / लाटों, जिनके लिये क्रेता की नियुक्ति निरस्त की गई है, के पश्चात्‌वर्ती निर्वर्तन पर संघ को हुई हानि, यदि कोई हो, क्रेता को वहन करनी होगी और यदि ऐसी हानि की रकम क्रेता के द्वारा, उसको इस संबंध में जारी की गई मांग सूचना के 15 दिन के अन्दर, जमा नहीं की जाती है तो ऐसी हानि की राशि उससे भू राजस्व के बकाया बतौर वसूली योग्य होगी, परन्तु यदि ऐसे पश्चात्‌वर्ती निर्वर्तन में क्रय मूल्य से अधिक राशि प्राप्त होती है तो क्रेता का इस अधिक राशि पर कोई अधिकार या दावा नहीं होगा।

8. देय राशि का भुगतान-

शासन द्वारा स्वीकृत निविदा से क्रेता क्रय मूल्य का भुगतान प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के कार्यालय में क्रेता करारनामा की शर्तों के अनुसार करेगा।

9. आटी इमली, फूल इमली (बीज रहित), इमली बीज, जामुन पल्प, भेलवा, बहेड़ा, कचरिया, गिलोय, कालमेघ, हर्रा, हर्रा कचरिया, वन तुलसी, पुवाड़ (चरोटा), बेल गुदा, पताल कुम्हड़ा (बेदारी कंद), कोरिया छाल, जामुन बीज (सूखा), चिरौंजी गुठली, धवई फूल, इन्द्र जौ, माहुल पत्ता, कुल्लु गोंद, सतावर (सूखा), पलाश फूल, वन जीरा, इमली ब्रिक्स (500ग्रा. का पैकेट), काजु, चिरौंजी दाना, फूल झाड़ू प्लास्टिक केन वाली, फूल झाड़ू प्लास्टिक पाईप वाली, रंगीनी लाख दाना, कुसुमी लाख दाना एवं महुआ तेल का परिवहन / निकासी-

देय राशि के भुगतान उपरांत आटी इमली, फूल इमली (बीज रहित), इमली बीज, जामुन पल्प, भेलवा, बहेड़ा कचरिया, गिलोय, कालमेघ, हर्रा, हर्रा कचरिया, वन तुलसी, पुवाड़ (चरोटा), बेल गुदा, पताल कुम्हड़ा (बेदारी कंद), कोरिया छाल, जामुन बीज (सूखा), चिरौंजी गुठली, धवई फूल, इन्द्र जौ, माहुल पत्ता, कुल्लु गोंद, सतावर (सूखा), पलाश फूल, वन जीरा, इमली ब्रिक्स (500ग्रा. का पैकेट), काजु, चिरौंजी दाना, फूल झाड़ू प्लास्टिक केन वाली, फूल झाड़ू प्लास्टिक पाईप वाली, रंगीनी लाख दाना, कुसुमी लाख दाना एवं महुआ तेल परिवहन / निकासी परिशिष्ट-I एवं IV में दिये गये प्रावधानों के अनुसार होगा।

10. परिशिष्ट -

परिशिष्ट-I से **IV** तथा अनुसूची जिनका कि सन्दर्भ ऊपर दिया गया है तथा **परिशिष्ट-V** से **IX** (**परिशिष्ट-II**, तथा **V** से **IX** केवल अंग्रेजी में उपलब्ध होंगे) जो कि संघ की ई-निविदा अधिसूचना क्रमांक/संघ/व्यापार/न्यू.स.मू./2021/X दिनांक 28.06.2021 के साथ संलग्न है, समस्त प्रयोजनों के लिये इस ई-निविदा सूचना के परिशिष्ट है उनको संदर्भ के लिये देखें तथा भविष्य की ई-निविदाओं हेतु सुरक्षित रखें।

11. निबंधनों एवं शर्तों का स्वीकार करना -

इस ई-निविदा के संदर्भ में ई-निविदा में भाग लेने के कार्य को ई-निविदा सूचना की शर्तों तथा परिशिष्ट-I में दिये गये निबंधनों एवं शर्तों की बिना शर्त अभिस्वीकृति समझा जावेगा।

12. क्रेता करारनामा निष्पादन न किये जाने अथवा करारनामा समाप्त होने की दशा में

हानि की राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी -

संबंधित निविदा / नीलाम से समस्त करों सहित संभावित प्राप्तियां (+) पुनः निवर्तन तक गोदाम, पर्यवेक्षण इत्यादि का व्यय (-) पश्चातवर्ती निविदा / नीलाम से समस्त करों सहित प्राप्तियां (-), अधिहरित की गई सत्पंकार एवं प्रतिभूति निक्षेप से प्राप्त राशि।

13. हिन्दी रूपान्तरण प्राधिकृत पाठ -

इस सूचना का तथा इसकी अनुसूची एवं परिशिष्टों का हिन्दी रूपान्तरण सभी प्रयोजनों के लिये प्राधिकृत पाठ समझा जावेगा।

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनेपज (व्यापार एवं विकास)
सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर

परिशिष्ट- I

ई-निविदा के निबंधन एवं शर्ते तथा निविदाकारों के लिए निर्देश जो
ई-निविदा सूचना क्रमांक/संघ/व्यापार/न्यू.स.मू./2021/X दिनांक 28.06.2021 के भाग है

ई-निविदा के निबंधन व शर्ते तथा निविदाकारों के लिए निर्देश और ई-निविदा सूचना एवं उसकी अनुसूची व विभिन्न परिशिष्टों में प्रयोग में लाये गये शब्दों एवं अभिव्यक्तियों की परिभाषायें नीचे दिये अनुसार हैं। ये ई-निविदा सूचना के अभिन्न अंग होंगे।

1. परिभाषाएं -

इस अधिसूचना तथा इसके परिशिष्टों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो -

- (i) "**देय राशि**" से तात्पर्य लाट में भंडारित मात्रा के क्रय मूल्य तथा उस पर देय कर के योग से है, जो सफल निविदाकार को देनी होगी। अधिसूचित मात्रा से अधिक संग्रहित / क्रय मात्रा का निविदा पर करों सहित क्रय मूल्य इसमें सम्मिलित होगा।
- (ii) "**परिशिष्ट**" से तात्पर्य ई-निविदा सूचना के परिशिष्ट से है।
- (IV) "**बकाया**" से अभिप्रेत है निविदाकार के विरुद्ध बकाया ऐसी कोई राशि जो छत्तीसगढ़ सरकार के वन विभाग अथवा संघ को शोध्य है और जिसकी सूचना ई-निविदा समाप्ति की तारीख से कम से कम 30 दिन पूर्व वन विभाग अथवा संघ अथवा उनके पदाधिकारी द्वारा उसे पंजीकृत डाक से भेजी गई है।
- (iv) "**मुख्य वन संरक्षक**" से तात्पर्य सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक से है, जो संघ के पदेन क्षेत्रीय मुख्य महा प्रबंधक भी घोषित है,
- (v) "**जिला यूनियन**" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) के अधीन पंजीकृत कोई जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित, जो संघ की सदस्य हो,
- (vi) "**वन मंडलाधिकारी**" से तात्पर्य संबंधित वन मंडलाधिकारी (सामान्य) से हैं, जो संघ के संबंधित जिला यूनियन के प्रबंध संचालक भी घोषित हैं,
- (vii) "**संघ**" से तात्पर्य छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर से है।
- (VIV) "**शासन**" से तात्पर्य छत्तीसगढ़ शासन से है,
- (ix) "**लाट**" से तात्पर्य किसी विशिष्ट गोदाम / कोल्ड स्टोरेज में भंडारित साल बीज एवं महुआ बीज, कुसुमी लाख से है जिसको कि अनुसूची में स्पष्ट किया गया है।
- (x) "**नियमावली**" से तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त छत्तीसगढ़ अभिवन (वनोपज) नियम 2001 एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 से है।
- (xi) "**प्राथमिक समिति**" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) के अधीन पंजीकृत प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्था मर्यादित जो "जिला यूनियन" की सदस्य हो।
- (xii) "**क्रय मूल्य**" से तात्पर्य उस राशि से है, आटी इमली, फूल इमली (बीज रहित), इमली बीज, जामुन पल्प, भेलवा, बेहड़ा, बेहड़ा कचरिया, गिलोय, कालमेघ, हर्रा, हर्रा कचरिया, वन तुलसी, पुवाड़ (चरोटा), बेल गुदा, पताल कुमड़ा (बेदारी कंद), कोरिया छाल, जामुन बीज (सूखा), चिरौंजी गुठली, धवई फूल, इन्द्र जौ, माहुल पत्ता, कुल्लु गोंद, सतावर (सूखा), पलाश फूल, वन जीरा, इमली ब्रिक्स (500ग्रा. का पैकेट), काजु, चिरौंजी दाना, फूल झाड़ प्लास्टिक केन वाली, फूल झाड़ प्लास्टिक पाईप वाली, रंगीनी लाख दाना, कुसुमी लाख दाना एवं महुआ तेल लाटों की अधिसूचित विंटल में दर्शित मात्रा, को नीचे (XIV) की परिभाषित क्रय दर से गुणा करने पर प्राप्त हो।
- (XIV) की परिभाषित क्रय दर से गुणा करने पर प्राप्त हो।

- (xiii) "क्रय दर" से तात्पर्य निविदाकार के द्वारा प्रस्तावित उस प्रति किंवंटल निविदा से है, जो बोरों में भरे संग्रहण केन्द्र से परिदान दी जाने वाली आठी इमली, फूल इमली (बीज रहित), इमली बीज, जामुन पल्प, भेलवा, बहेड़ा, बहेड़ा कचरिया, गिलोय, कालमेघ, हर्रा, हर्रा कचरिया, वन तुलसी, पुवाड़ (चरोटा), बेल गुदा, पताल कुम्हड़ा (बिदारी कंद), कोरिया छाल, जामुन बीज (सूखा), चिरौंजी गुठली, धवई फूल, इन्द्र जौ, माहुल पत्ता, कुल्लु गोंद, सतावर (सूखा), पलाश फूल, वन जीरा, इमली ब्रिक्स (500ग्रा. का पैकेट), काजु, चिरौंजी दाना, फूल झाड़ू प्लास्टिक केन वाली, फूल झाड़ू प्लास्टिक पाईप वाली, रंगीनी लाख दाना, कुसुमी लाख दाना एवं महुआ तेल की मात्रा के लिए जो संघ के द्वारा स्वीकृत की गई हो।
- (xiv) "परिक्षेत्र अधिकारी" से तात्पर्य संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी से है, जो संघ के पदेन परिक्षेत्र प्रबंधक भी हैं,
- (xv) "देय कर" से तात्पर्य लाट के क्रय मूल्य पर समय-समय पर प्रवृत्त देय वस्तु एवं सेवा कर व तत्समय प्रवृत्त अन्य सभी कर, उपकर / इयूटी आदि से है,
- (xvi) "निविदा दर" से तात्पर्य उस प्रति किंवंटल दर (रु. में) (जिसमें वस्तु एवं सेवा कर तथा अन्य कोई कर / उपकर सम्मिलित नहीं हैं) से है जो निविदाकार किसी लाट के आठी इमली, फूल इमली (बीज रहित), इमली बीज, जामुन पल्प, भेलवा, बहेड़ा, बहेड़ा कचरिया, गिलोय, कालमेघ, हर्रा, हर्रा कचरिया, वन तुलसी, पुवाड़ (चरोटा), बेल गुदा, पताल कुम्हड़ा (बिदारी कंद), कोरिया छाल, जामुन बीज (सूखा), चिरौंजी गुठली, धवई फूल, इन्द्र जौ, माहुल पत्ता, कुल्लु गोंद, सतावर (सूखा), पलाश फूल, वन जीरा, इमली ब्रिक्स (500ग्रा. का पैकेट), काजु, चिरौंजी दाना, फूल झाड़ू प्लास्टिक केन वाली, फूल झाड़ू प्लास्टिक पाईप वाली, रंगीनी लाख दाना, कुसुमी लाख दाना एवं महुआ तेल के क्रय के लिए परिशष्ट-II में दिए गए ई-निविदा पत्रक में अलग-अलग लाट के लिए प्रस्तावित करेगा।
- (xvii) "निविदाकार" से तात्पर्य उस व्यक्ति अथवा पंजीकृत फर्म या विधिक कंपनी से है, जो इन निवंधनों तथा शर्तों के अधीन आठी इमली, फूल इमली (बीज रहित), इमली बीज, जामुन पल्प, भेलवा, बहेड़ा, बहेड़ा कचरिया, गिलोय, कालमेघ, हर्रा, हर्रा कचरिया, वन तुलसी, पुवाड़ (चरोटा), बेल गुदा, पताल कुम्हड़ा (बिदारी कंद), कोरिया छाल, जामुन बीज (सूखा), चिरौंजी गुठली, धवई फूल, इन्द्र जौ, माहुल पत्ता, कुल्लु गोंद, सतावर (सूखा), पलाश फूल, वन जीरा, इमली ब्रिक्स (500ग्रा. का पैकेट), काजु, चिरौंजी दाना, फूल झाड़ू प्लास्टिक केन वाली, फूल झाड़ू प्लास्टिक पाईप वाली, रंगीनी लाख दाना, कुसुमी लाख दाना एवं महुआ तेल क्रय करने हेतु निविदा प्रस्तुत करता है और इस अभिव्यक्ति में उसका दायद, उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि तथा अभिहस्तराकिती सम्मिलित होंगे।
- (xviii) 1. **सालबीज** - तात्पर्य पंखुड़ी रहित, फलावरण रहित साल फल की सूखी दाल से है। इसमें (पंखुड़ी रहित साल फल) भी सम्मिलित है। **किंवंटल सालबीज** 1.60 किंवंटल सालमुड़ी के।
 2. **आठी इमली** - आठी इमली से तात्पर्य इमली के वृक्ष से प्राप्त इमली फल से है जो बीज सहित है।
 3. **इमली फूल (बीज रहित)** - इमली फूल से तात्पर्य इमली के वृक्ष से प्राप्त इमली फल से है जो बीज रहित है।
 4. **इमली बीज** - इमली बीज से तात्पर्य इमली के फल के प्रसंस्करण पश्चात प्राप्त बीजों से है।
 5. **इमली ब्रिक्स (500 ग्राम का पैकेट)** - इमली ब्रिक्स से तात्पर्य इमली के वृक्ष से प्राप्त इमली फल से है जो प्रसंस्कृत कर बीज रहित इमली से तैयार कर 500 ग्राम का पैकेट बनाई जाती है।
 6. **भेलवा** - भेलवा से तात्पर्य भेलवा वृक्ष से प्राप्त फल के छिल्का रहित बीजों से है।
 7. **बहेड़ा-** बहेड़ा का तात्पर्य वृक्ष से प्राप्त होने वाले फलों से है जिसमें फलावरण एवं बीज हो।
 8. **बहेड़ा कचरिया** - बहेड़ा कचरिया से तात्पर्य बहेड़ा वृक्ष से प्राप्त फल जिसमें से बीज अलग करके केवल पैरीकार्य अथवा फलावरण हो।
 9. **जामुन पल्प** - जामुन पल्प का तात्पर्य जामुन वृक्ष से प्राप्त फल के फलावरण से है।
 10. **गिलोय** - गिलोय से तात्पर्य गिलोय के पौधों के लताओं के तनों से है जो टुकड़ों में कटा हुआ एवं सूखा हो।

11. कालमेघ - कालमेघ का तात्पर्य पौधे का समस्त भाग अर्थात पत्ती, तना, फल, फूल, बीज आदि सम्मिलित हो तथा छोटे आकार के कटे हुए हो।
12. हरा - हरा का तात्पर्य वृक्ष से प्राप्त होने वाले फल से है।
13. हरा कचरिया - हरा कचरिया का तात्पर्य हरा वृक्ष से प्राप्त फल जिसमें बीज अलग करके केवल पैरीकार्य अथवा फलावरण हो।
14. फूल झाड़ू प्लास्टिक केन वाली - फूल झाड़ू प्लास्टिक केन वाली से तात्पर्य पहाड़ी धांस से निर्मित झाड़ू जिसमें प्लास्टिक केन लगा हो।
15. फूल झाड़ू प्लास्टिक पाईप वाली - फूल झाड़ू प्लास्टिक पाईप वाली से तात्पर्य पहाड़ी धांस से निर्मित झाड़ू जिसमें प्लास्टिक पाईप लगा हो।
16. वन तुलसी (बीज) - वन तुलसी बीज से तात्पर्य वन तुलसी के पौधों से प्राप्त बीजों से है।
17. चरौटा बीज - चरौटा बीज से तात्पर्य चरौटा के पौधे से प्राप्त फल्लियों से निकाले गये बीजों से है।
18. बेल गुदा - बेल गुदा से तात्पर्य बेल वृक्ष से प्राप्त फल जिसके कठोर आवरण को हटाकर गुदा निकाला गया हो एवं वह सुखा हो।
19. पताल कुम्हड़ा (बेदारी कंद) - यह मैंदनी/जंगलों में पौधे के जड़ों में पाया जाने वाला एक प्रकार का कंद है।
20. रंगीनी लाख (प्रसंस्कृत दाना) - रंगीनी लाख को प्रसंस्कृत कर तैयार किया जाता है।
21. कुसुमी लाख प्रसंस्कृत दाना - कुसुमी लाख को प्रसंस्कृत कर तैयार किया जाता है।
22. जामुन बीज (सूखा) - जामुन बीज से तात्पर्य जामुन के फल से प्राप्त बीज (गुठली) से है।
23. धवई फूल - धवई फूल सूखा से तात्पर्य धवई के वृक्ष से प्राप्त सूखे फूलों से है।

(xiv) "क्रय क्षमता" से तात्पर्य उस राशि से है जो इन शर्तों एवं निवंधनों की शर्त क्रमांक 5(II) के प्रावधानों के अनुसार मान्य की गई हो।

2. लाटों का विवरण -

लाटों का विवरण (नाम एवं गोदाम / कोल्ड स्टोरेज) जिसमें से आठी इमली, फूल इमली (बीज रहित), इमली बीज, जामुन पल्प, भेलवा, बहेड़ा, बहेड़ा कचरिया, गिलोय, कालमेघ, हरा, हरा कचरिया, वन तुलसी, पुवाड़ (चरोटा), बेल गुदा, पताल कुम्हड़ा (बेदारी कंद), कोरिया छाल, जामुन बीज (सूखा), चिरौंजी गुठली, धवई फूल, इन्द्र जौ, माहुल पत्ता, कुल्तु गोंद, सतावर (सूखा), पताश फूल, वन जीरा, इमली ब्रिक्स (500ग्रा. का पैकेट), काजु, चिरौंजी दाना, फूल झाड़ू प्लास्टिक केन वाली, फूल झाड़ू प्लास्टिक पाईप वाली, रंगीनी लाख दाना, कुसुमी लाख दाना एवं महुआ तेल भंडारित किया गया है का विवरण ई-निविदा अधिसूचना क्रमांक/संघ/व्यापार/न्यू.स.मू./2021/X दिनांक 28.06.2021 की अनुसूची में दिया गया है।

3. अधिनियम के प्रावधान का लागू होना -

भारतीय वन अधिनियम, 1927 एवं उसके अधीन बनाए गये नियमों के समस्त तत्समय प्रवृत्त प्रावधान जहां तक कि वे क्रेताओं के ऊपर लागू होते हैं ई-निविदा सूचना एवं क्रेता करारनामे के निवंधनों तथा शर्तों के विशेषत: अभिन्न अंग

4. निविदा प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत व्यक्ति आदि -

(I) निविदा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति / व्यक्तियों द्वारा यह उल्लेखित किया जायेगा कि वह / वे किस हैसियत से निविदा पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा है / कर रहे हैं, उदाहरणार्थ, सम्बंधित फर्म के पूर्ण स्वामी अथवा किसी मर्यादित कम्पनी के प्रबंध संचालक, संचालक अथवा सचिव के रूप में। भागीदारी फर्म के मामले में सभी भागीदारों के नाम अभिलेखित होंगे और निविदा पत्र पर उनके सम्यक् रूप में नियुक्त अटार्नी द्वारा जिसे मुख्यारनामा द्वारा या भागीदारी विलेख में दिये गये अनुसार संविदा संबंधी सभी विषयों में सभी भागीदारों को आबद्ध करने का अधिकार हो, हस्ताक्षर किये जायेंगे। पंजीकृत भागीदारी विलेख की एक सत्य प्रति निविदा पत्र के साथ अपलोड की जायेगी जो न करने

पर निविदा अमान्य किये जाने योग्य होंगी। जिस फर्म ने करार किया है, उस फर्म के प्रत्येक भागीदार के लिए यह बाध्यकर होगा कि वह करार के चालू रहने के दौरान उसके अनुबंधों तथा शर्तों का अनुपालन करें, भले ही अभ्यंतर काल में भागीदारी का विघटन हो गया हो। मर्यादित कम्पनी की स्थिति में निविदा पर, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे, जिसे कम्पनी द्वारा वैसा करने हेतु अधिकृत किया हो तथा कम्पनी को सर्टीफिकेट ऑफ इनकार्पोरेशन (Certificate of Incorporation) की एक प्रति और वह पत्र जिसके द्वारा उस व्यक्ति को निविदा अभिलेखों में हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया गया है, निविदा पत्र के साथ अपलोड किये जायेंगे जो न करने पर निविदा अमान्य किये जाने योग्य होंगी। अविभाजित हिन्दू कुटुम्ब की स्थिति में "कर्ता" जो कुटुम्ब को आबद्ध कर सके, निविदा पत्र पर हस्ताक्षर करेगा तथा परिवार के समस्त सदस्यों की सूची निविदा पत्र के साथ अपलोड की जावेगी।

(II) किसी अन्य व्यक्ति या फर्म की ओर से निविदा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति निविदा पत्र के साथ मुख्यारनामा या उसके पक्ष में सम्यक् रूप से निष्पादित डीड या भागीदारी विलेख, जिसमें उसे यह शक्ति दी गई हो, जो यह दर्शयि कि यथास्थिति ऐसे अन्य व्यक्तियों को या फर्म को, संविदा संबंधी सभी विषयों में आबद्ध करने का उसे अधिकार है, निविदा पत्र के साथ अपलोड करेगा। यदि निविदा पत्र पर इस प्रकार हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति उक्त मुख्यारनामा या भागीदारी विलेख संलग्न नहीं करता है, तो उसकी निविदा संक्षिप्त रूप से अस्वीकृति योग्य होंगी। मुख्यारनामे पर, भागीदारी प्रतिष्ठान होने पर सभी भागीदारों द्वारा, प्रोप्राइटर फर्म होने पर प्रोप्राइटर द्वारा तथा मर्यादित कम्पनी होने पर उस व्यक्ति द्वारा जो अपने हस्ताक्षर से कम्पनी को आबद्ध कर सकता है, हस्ताक्षर किये जायेंगे। हिन्दू अविभाजित कुटुम्ब होने पर मुख्यारनामे पर "कर्ता" जो अपने हस्ताक्षर से कुटुम्ब को आबद्ध कर सकता है, द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।

(III) अवयस्क, दिवालिया, बकायादार अथवा काली सूची में दर्ज व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत निविदाएं अवैध मानी जावेंगी। यदि कोई व्यक्ति, प्रोपराइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, कम्पनी, अविभाजित हिन्दू परिवार (एच.यू.एफ) अगर काली सूची में दर्ज है तो यह माना जायेगा कि, काली सूची में दर्ज पार्टनरशिप फर्म के समस्त पार्टनर, कम्पनी के समस्त संचालक एवं अविभाजित हिन्दू परिवार का कर्ता एवं समस्त सदस्य, भी काली सूची में हैं।

उपरोक्त काली सूची में दर्ज व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर अन्य किसी प्रोपराइट्री फर्म, पार्टनरशिप फर्म एवं कम्पनी में सम्मिलित होने की स्थिति में वह फर्म भी काली सूची में दर्ज मानी जावेगी।

(IV) ऐसा निविदाकार जो कि बकायादार है, निविदा पत्र के साथ किसी भी अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट / डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जो संघ के प्रबंध संचालक के पक्ष में रायपुर में देय हो, बकाया का भुगतान संघ कार्यालय या संबंधित प्रबंध संचालक जिला यूनियन के कार्यालय में निविदा खुलने के पूर्व कर सकता है, परन्तु यदि वह ऐसा करने में चूक करता है, तो उसके द्वारा निविदा के साथ सत्यंकार के रूप में जमा राशि से बकाया राशि को काट कर शेष राशि के आधार पर उसकी क्र्य क्षमता की गणना कर उसकी निविदा पर विचार किया जावेगा।

5. सत्यंकार की राशि -

(I) प्रत्येक निविदा, सत्यंकार की राशि जो अधिसूचित आठी इमली, फूल इमली (बीज रहित), इमली बीज, जामुन पत्प, भेलवा, बहेड़ा, बहेड़ा कचरिया, गिलोय, कालमेघ, हर्रा, हर्रा कचरिया, वन तुलसी, पुवाड़ (चरोटा), बेल गुदा, पताल कुम्हड़ा (बिदारी कंद), कोरिया छाल, जामुन बीज (सूखा), चिरौंजी गुठली, धवई फूल, इन्द्र जौ, माहुल पत्ता, कुल्लु गोंद, सतावर (सूखा), पलाश फूल, वन जीरा, इमली ब्रिक्स (500ग्रा. का पैकेट), कानु, चिरौंजी दाना, फूल झाडू प्लास्टिक केन वाली, फूल झाडू प्लास्टिक पाईप वाली, रंगीनी लाख दाना, कुसुमी लाख दाना एवं महुआ तेल की मात्रा के आधार पर निविदा से गणना किये गये क्र्य मूल्य के 10% के बराबर होंगी, के साथ शर्त क्रमांक 14(I) में

दशथिये विवरण अनुसार प्रस्तुत की जावेगी। अन्य किसी रूप में सत्यंकार की राशि जमा करने पर निविदा अंतिम रूप से अमान्य किये जाने योग्य होगी।

(II) क्रय क्षमता सत्यंकार की राशि की 10 गुना होगी और इस प्रकार मान्य की गई क्रय क्षमता के आधार पर निविदा पर विचार किया जावेगा। निविदा क्षमता क्रय क्षमता के समतुल्य होगी।

(III) सफल निविदाकारों की सूची एवं असफल निविदाकारों की सूची संघ की बेवसाइट www.cgmfpfed.org पर क्रमशः परिशिष्ट-**VI** एवं परिशिष्ट-**VII** में उपलब्ध रहेगी। सफल निविदाकार के द्वारा जमा की गई सत्यंकार की राशि प्रथमतः उसके द्वारा देय प्रतिभूति राशि के रूप में शर्त क्रमांक 9(I) के अनुसार समायोजित की जावेगी।

(IV) ई-निविदा के समापन के उपरांत, उच्चतम निविदाकारों की सत्यंकार की राशि शासन / संघ द्वारा ई-निविदा पर निर्णय लिये जाने तक अवरुद्ध रहेगी। शासन / संघ द्वारा उच्चतम निविदा को अस्वीकार करने की स्थिति में अवरोधित सत्यंकार की राशि मुक्त कर दी जावेगी तथा निविदाकार ई-निविदा प्रणाली के माध्यम से वापसी हेतु अनुरोध कर सकते हैं और सत्यंकार की राशि एक कार्य दिवस के भीतर निविदाकार के पंजीकृत खाते में हस्तांतरित कर दी जावेगी। ई-निविदा के समापन के उपरांत, उच्चतम निविदा के अलावा अन्य निविदा भरने वाले निविदाकारों की सत्यंकार की राशि स्वतः मुक्त कर दी जावेगी जिसे कि निविदाकार स्वयं ई-निविदा प्रणाली के माध्यम से वापस ले सकते हैं। अगले चक्र की ई-निविदा हेतु निविदाकार को सत्यंकार की राशि पुनः जमा करना होगी।

(V) सत्यंकार की राशि पर किसी भी दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा।

(VI) असफल निविदाकारों की सत्यंकार की राशि उन्हें निविदा परिणाम घोषित होने के उपरांत वापस की जावेगी।

6. शर्तों के साथ निविदा भरने की प्रक्रिया -

(I) एक अथवा एक से अधिक लाटों के क्रय के लिए एक ही निविदा प्रस्तुत कर सकेगा। यदि कोई निविदाकार एक से अधिक निविदा प्रस्तुत करता है तो उसके द्वारा प्रस्तुत की गई किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

(II) निविदा केवल ऑन लाइन पोर्टल <https://cgmfpfed.abcprocure.com> पर प्रस्तुत की जा सकेगी अन्यथा प्रस्तुत की गई निविदा अवैध मानी जावेगी।

(III) निविदाकार को निविदा पत्र में प्रत्येक लाट के क्रय के लिए अपनी निविदा दर देनी होगी। निविदाकार आटी इमली, फूल इमली (बीज रहित), इमली बीज, जामुन पल्प, भेलवा, बहेड़ा, बहेड़ा कचरिया, गिलोय, कालमेघ, हर्रा, हर्रा कचरिया, वन तुलसी, पुवाड़ (चरोटा), बेल गुदा, पताल कुम्हड़ा (बिदारी कंद), कोरिया छाल, जामुन बीज (सूखा), चिरौजी गुठली, धवई फूल, इन्द्र जौ, माहुल पत्ता, कुल्लु गोद, सतावर (सूखा), पलाश फूल, वन जीरा, इमली ब्रिक्स (500ग्रा. का पैकेट), काजु, चिरौजी दाना, फूल झाड़ू प्लास्टिक केन वाली, फूल झाड़ू प्लास्टिक पाईप वाली, रंगीनी लाख दाना, कूसुमी लाख दाना एवं महुआ तेल के लिए प्रति किंवंटल दर, जिसमें कर / उपकर सम्मिलित नहीं होंगे, अपने निविदा पत्र में प्रस्तावित करेगा। प्रस्ताव में प्रति किंवंटल दर दर्शाना होगी, एकमुश्त रकम नहीं। निविदा दर पूर्ण रूपये में दी जावेगी।

(IV) यदि कोई निविदाकार एक लाट के लिए एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, तो उसके द्वारा दिये गये उच्चतम दर पर ही विचार किया जावेगा और निचली दरों के प्रस्तावों के संबंध में यह माना जावेगा कि वह प्रस्तुत ही नहीं किये गये।

(V) यदि निविदाकार के द्वारा प्रस्तुत निविदा में किसी लाट के प्रस्ताव स्पष्ट नहीं हैं अर्थात् वह प्रस्ताव किस विशिष्ट लाट के लिए दिया गया है या किस राशि के लिए है अथवा यदि किसी लाट की पहचान के संबंध में कोई त्रुटि की गई है अथवा किसी लाट के नाम एवं क्रमांक में अन्तर पाया जाता है तो उस लाट के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जावेगा।

(VI) निविदाकार को अपने निविदा पत्र में अपना पूर्ण एवं सही डाक का पता, दूरभाष क्रमांक एवं ई-मेल का पता इस हेतु, निर्धारित स्थान पर आवश्यक रूप से अंकित करना होगा। इस पते पर ई-मेल से भेजे गये पत्र उसके द्वारा प्राप्त किये गये माने जावेंगे। निविदाकार को संबोधित समस्त पत्रों को प्राप्त करने का दायित्व उसका स्वयं का है। यदि निविदाकार के द्वारा अंकित किया गया डाक का पता या ई-मेल का पता गलत पाया जाता है तो उसका नाम काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा।

(VII) निविदाकार को निविदा पत्र के प्रत्येक फार्म (Templates) को भरना होगा और उसके साथ समस्त आवश्यक अभिलेख एवं सम्पर्क रूप से निष्पादित किये गये निविदाकार के करारनामे को अपलोड कर, निविदा सूचना की शर्त क्रमांक-5 के अनुसार उसे प्रस्तुत करना होगा। सम्पर्क रूप से निष्पादित निविदाकार का करारनामा तथा अन्य अभिलेख निविदा पत्र के साथ अपलोड न किये जाने पर, निविदा विचार किये जाने योग्य नहीं होगी।

7. निविदा को वापिस लिया जाना आदि -

निविदा के Final Submission उपरांत कोई भी निविदाकार किसी लाट / लाटों के लिये अपनी निविदा वापस नहीं ले सकेगा और वह अपने निविदा तथा ई-निविदा सूचना के निबंधनों तथा शर्तों से तथा इन निबंधनों तथा शर्तों से तब तक बाध्य रहेगा जब तक संघ के द्वारा उसके निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने संबंधी पत्र जारी नहीं कर दिया जाता। इस शर्त का उल्लंघन करने पर संबंधित लाट / लाटों के क्रय मूल्य, जो कि उसके द्वारा प्रस्तावित दर को लाट की अधिसूचित मात्रा से गुणा करने पर परिणित किया जावेगा, की 10% राशि का उसके द्वारा प्रस्तुत की गई सत्यंकार की राशि में से अधिहरण कर लिया जावेगा और उसे 3 वर्ष तक की कालावधि के लिये काली-सूची में दर्ज किया जा सकेगा।

8. निविदाओं को स्वीकार किया जाना -

- (I) शासन / संघ निविदा पत्र में अंकित किसी भी लाट या समस्त लाटों के प्रस्ताव / प्रस्तावों को बिना कारण दर्शायि स्वीकार / अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- (II) विभिन्न निविदाकारों को लाटों का आवंटन करने के लिए शासन / संघ विभिन्न लाटों या लाटों के वर्ग या विभिन्न क्षेत्रों के लाटों के लिए भिन्न-भिन्न कट आफ स्तर / अवरोध मूल्य निर्धारित करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।
- (III) यदि किसी विशिष्ट लाट के लिए एक से अधिक निविदाकारों के द्वारा एक ही दर प्रस्तावित की जाती है तो उस लाट का आवंटन संघ द्वारा लाटरी निकाल कर तय की जावेगी।
- (IV) निविदाकार ऐसे लाट / लाटों जिनके प्रस्ताव संघ द्वारा स्वीकार किये जाते हैं, स्वीकार करने को बाध्य होगा।

9. प्रतिभूति निष्केप -

- (I) क्रेता करारनामा निष्पादित करने के पूर्व निष्पादित किये जाने वाले क्रेता करारनामा के निबंधनों तथा शर्तों के यथोचित अनुपालन के लिए सफल निविदाकार को उसके पक्ष में संघ के द्वारा स्वीकृत किये गये लाटों के कुल क्रय मूल्य की 20% की राशि प्रतिभूति निष्केप के रूप में जमा करना होगी और इस प्रयोजन हेतु उसके द्वारा शर्त क्रमांक 5 के अनुसार जमा की गई क्रय मूल्य के 10% की सत्यंकार की राशि प्रतिभूति निष्केप के रूप में संघ के द्वारा समायोजित कर ली जावेगी और अवशेष राशि निर्धारित समय के अंदर उसे जमा करना होगा। अवशेष प्रतिभूति की राशि शर्त क्रमांक 14(II) के अनुसार अदा की जाएगी।
- (II) यह प्रतिभूति निष्केप, यथास्थिति या तो पूर्णतः या आंशिक रूप में वन मण्डलाधिकारी द्वारा करारनामा तथा इन शर्तों के उपबंधों के अधीन क्रेता से वसूली योग्य किसी रकम, क्रय मूल्य सहित, यदि कोई हो, के प्रति समायोजित किया जा सकता है और समस्त ऐसी कटौतियों की

पूर्ति क्रेता द्वारा इस आशय की सूचना जारी होने के 15 दिन के भीतर उतनी ही रकम जमा करके की जावेगी।

- (III) यदि क्रेता से वसूल की जाने वाली बकाया राशि प्रतिभूति निक्षेप की रकम से अधिक हो, तो अधिक होने वाली रकम, जब तक कि उसकी पूर्ति वन मण्डलाधिकारी को उस आशय की सूचना जारी होने के पन्द्रह दिन के भीतर न की जाये, भू-राजस्व के बकाया की बतौर वसूली के योग्य होगी।
- (IV) यथा स्थिति प्रतिभूति निक्षेप या अवशेष राशि, जैसी भी स्थिति हो, वन मण्डलाधिकारी एवं प्रबंध संचालक, जिला यूनियन की संतुष्टि कि क्रेता के द्वारा क्रेता करारनामे के समस्त निबंधनों एवं शर्तों तथा ई-निविदा सूचना की शर्तों का पालन किया गया है और कोई भी राशि उसके विरुद्ध शेष नहीं निकलती है, अंतिम भुगतान में समायोजित की जा सकेगी।

10. आटी इमली, फूल इमली (बीज रहित), इमली बीज, जामुन पल्प, भेलवा, बहेड़ा, बहेड़ा कचरिया, गिलोय, कालमेघ, हरा, हरा कचरिया, वन तुलसी, पुवाड़ (चरोटा), बेल गुदा, पताल कुम्हड़ा (बेदारी कंद), कोरिया छाल, जामुन बीज (सूखा), चिरौंजी गुठली, धवई फूल, इन्द्र जौ, माहुल पत्ता, कुल्लु गोंद, सतावर (सूखा), पलाश फूल, वन जीरा, इमली ब्रिक्स (500ग्रा. का पैकेट), काजु, चिरौंजी दाना, फूल झाड़ू प्लास्टिक केन वाली, फूल झाड़ू प्लास्टिक पाईप वाली, रंगीनी लाख दाना, कुसुमी लाख दाना एवं महुआ तेल का परिवहन / निकासी-
- (I) गोदाम / कोल्ड स्टोरेज से वनोपज का परिवहन / निकासी स्वीकृत निविदा के अनुसार शेष राशि तथा पूर्ण करों एवं उपकरों की राशि के भुगतान होने पर ही क्रेता के द्वारा की जा सकेगी।
 - (II) देय राशि के पूर्ण भुगतान होने के पश्चात् परिवहन अनुज्ञा पत्र से लाट की संग्रहित मात्रा की परिवहन / निकासी की अनुमति दी जावेगी।
 - (III) क्रेता बिना मूल्य वृद्धि (विल्यू एडिशन) किये आटी इमली, फूल इमली (बीज रहित), इमली बीज, जामुन पल्प, भेलवा, बहेड़ा, बहेड़ा कचरिया, गिलोय, कालमेघ, हरा, हरा कचरिया, वन तुलसी, पुवाड़ (चरोटा), बेल गुदा, पताल कुम्हड़ा (बेदारी कंद), कोरिया छाल, जामुन बीज (सूखा), चिरौंजी गुठली, धवई फूल, इन्द्र जौ, माहुल पत्ता, कुल्लु गोंद, सतावर (सूखा), पलाश फूल, वन जीरा, इमली ब्रिक्स (500ग्रा. का पैकेट), काजु, चिरौंजी दाना, फूल झाड़ू प्लास्टिक केन वाली, फूल झाड़ू प्लास्टिक पाईप वाली, रंगीनी लाख दाना, कुसुमी लाख दाना एवं महुआ तेल को छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर वन विभाग द्वारा जारी परिवहन अनुज्ञापत्र से परिवहन कर सकेगा।

11. अधिनियम आदि का उल्लंघन -

ऐसा क्रेता जो क्रेता करारनामे की किन्हीं शर्तों का उल्लंघन करता है, जिसके परिणामस्वरूप वह दंडित किया जाता है या उसके करारनामे को समाप्त किया जाता है, को 03 वर्ष की कालावधि तक के लिए काली सूची में मुख्य वन संरक्षक दर्ज किया जा सकेगा।

12. करारनामे का हस्तांतरण -

क्रेता प्रबंध संचालक, संघ की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किये बिना उसके द्वारा निष्पादित अनुबंध को किसी अन्य व्यक्ति / पंजीकृत फर्म या विधिक संस्थान को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा। ऐसे अनुबंध का हस्तांतरण प्रबंध संचालक, संघ द्वारा इस शर्त पर किया जा सकेगा कि जिस व्यक्ति / पंजीकृत फर्म या विधिक संस्थान के पक्ष में अनुबंध हस्तांतरित किया जाना है वह रु. 10,000/- की राशि हस्तांतरण शुल्क के रूप में तथा इकाई के क्रय मूल्य की 20% राशि किसी अनुसूचित बैंक के डिमांड / बैंक ड्राफ्ट जो कि प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के पक्ष में रायपुर में देय होगा प्रतिभूति निक्षेप के रूप में, हस्तांतरणकर्ता का आवेदन, हस्तांतरण ग्रहिता की सहमति प्रबंध संचालक, संघ के कार्यालय में मूल क्रेता हेतु करारनामा निष्पादन करने की निर्धारित

अवधि में प्राप्त हो जाना चाहिए। हस्तान्तरण ग्रहिता को हस्तान्तरण आदेश की तिथि से 15 दिवस के भीतर क्रेता करारनामा प्रबंध संचालक जिला यूनियन के कार्यालय में निष्पादित करना होगा। ऐसे प्रकरणों में हस्तान्तरणकर्ता क्रेता इकाई के संबंध में अपने दायित्वों से तब तक मुक्त नहीं होगा, जब तक हस्तान्तरण ग्रहिता क्रेता संबंधित प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के कार्यालय में संबंधित इकाई का करारनामा निष्पादित नहीं कर देता है।

13. यदि कोई क्रेता शासन / संघ के विरुद्ध अदालत में जाता है तथा निर्णय शासन / संघ के पक्ष में होता है तो क्रेता अदालती कार्यवाही के कारण वनोपज के मूल्य में हुई कमी के लिये जिम्मेदार होगा, इसकी वसूली क्रेता से विलंब शुल्क सहित की जावेगी।

14. देय राशि की भुगतान की प्रक्रिया -

(I) निविदाकार द्वारा

निविदाकार को सत्यंकार (E.M.D) की राशि का भुगतान आनलाइन Payment Gateway Service Provider के माध्यम से ही करना होगा। निविदाकार द्वारा आनलाइन भुगतान निम्न में से किसी प्रकार से किया जा सकता है।

क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड (VISA / Master / Maestro Cards)

निविदाकार द्वारा क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड (VISA / Master / Maestro Cards) के विकल्प का चयन करने के उपरांत Payment Gateway में दशायि निर्देशानुसार भुगतान की कार्यवाही करना होगा।

1. नेट बैंकिंग (Net Banking)

निविदाकार केवल नेट बैंकिंग सुविधा उपलब्ध बैंक के खाते से ही राशि आनलाइन ट्रांसफर कर सकता है। नेट बैंकिंग के लिये कई बैंकों की सूची Payment Gateway में प्रदर्शित होगी। उसके बाद निविदाकार को अपने बैंक का चयन कर Payment Gateway में दशायि निर्देशानुसार भुगतान की कार्यवाही करना होगा।

2. आर.टी.जी.एस. / एन.इ.एफ.टी (RTGS / NEFT)

निविदाकार को संलग्न परिशिष्ट-VII की कंडिका 2.2 में दशायि निर्देश (Instructions) के अनुसार भुगतान की कार्यवाही करना होगा।

(ii) निविदाकार द्वारा क्रेता नियुक्त होने पर

क्रेता द्वारा राशि का भुगतान अपने किसी बैंक खाते से संघ के आई.सी.आई.सी. आई. बैंक खाता क्रमांक 016101018105 (ICIC0000161) पर निम्न प्रक्रिया अनुसार चालान प्राप्त करने उपरांत ऑनलाइन भुगतान करना अनिवार्य है।

चालान प्राप्त करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है :-

इस प्रक्रिया के अनुसार लघु वनोपज संघ के वेबसाइट www.cgmfpfed.org के मुख्य पृष्ठ (Home Page) में एक Link Online Payment Module उपलब्ध होगा। क्रेता द्वारा उक्त Link को Click करने पर एक पेज खुलेगा जिसके क्रमांक 02 के अंतर्गत एक Proceed for Money Receipt Generation through ICICI Bank Ltd. उपलब्ध होगा। उक्त Link को Click करने पर एक इनपुट फॉर्म खुल जावेगा, क्रेता क्रमशः क्रेता का नाम, आयकर स्थायी खाता क्रमांक (PAN), ई-मेल, मोबाइल क्रमांक, जिला यूनियन का नाम, वनोपज का नाम, संग्रहण वर्ष, लॉट क्रमांक, विक्रय मूल्य, वस्तु एवं सेवा कर (GST) आय कर, विलंब शुल्क, गोदाम किराया एवं पुर्जीवन शुल्क की प्रविष्टि करनी होगी। क्रेता द्वारा समस्त प्रविष्टि Caps Lock on करके ही की जानी चाहिये। क्रेता द्वारा प्रत्येक लॉट हेतु पृथक से प्रविष्टि करनी चाहिये अर्थात् एक या एक से अधिक लॉटों की प्रविष्टियों को जोड़कर एक प्रविष्टि नहीं करनी चाहिये। उक्त फॉर्म में पूरी जानकारी भरने के उपरांत

को Submit Button क्लिक करना होगा । Submit Button को क्लिक करने के बाद एक चालान प्रदर्शित होगा, क्रेता उक्त चालान का प्रिंट लेकर चालान में अंकित जानकारियों को बैंक द्वारा RTGS हेतु निर्धारित फॉर्म में भरकर चालान में अंकित राशि को RTGS करना होगा ।

ऑनलाइन मनी रसीद संबंधित जिला यूनियनों को उनके ई-मेल पर, क्रेता के ई-मेल पर तथा संघ मुख्यालय के ई-मेल पर स्वतः प्राप्त हो जावेगी । जिला यूनियन द्वारा ऑनलाईन मनीरसीद प्राप्त होने उपरांत संघ मुख्यालय से पुष्टि करने की आवश्यकता नहीं होगी एवं ई-मेल द्वारा प्राप्त मनीरसीद मान्य किया जावेगा ।

15. ऑनलाईन क्रेता करारनामा निष्पादन की प्रक्रिया -

क्रेता के पास क्रेता करारनामा को ई-साइन करने के लिये Digital Signature Certificate (DSC) होना आवश्यक है। क्रेता द्वारा उसी DSC का उपयोग करना होगा जिसका उपयोग कर ई-निविदा में भाग लिया गया था अन्य किसी भी DSC का उपयोग करने पर क्रेता करारनामा Digitally Signed नहीं माना जावेगा । क्रेता द्वारा क्रेता करारनामा में आवश्यक रिक्तियों को भरकर PDF File तैयार कर उक्त क्रेता करारनामा को ई-साइन करने के उपरांत संबंधित वन वृत्त कार्यालय / जिला यूनियन को ई-मेल के माध्यम से भेजा जा सकेगा। वन वृत्त कार्यालय / जिला यूनियन को ई-मेल से प्राप्त क्रेता करारनामा को डाउनलोड कर संबंधित मुख्य वन संरक्षक अथवा उनके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति / प्रबंध संचालक, जिला यूनियन अथवा उनके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर कर कार्यालय में उपयोग हेतु रखा जावेगा तथा उसकी स्कैन की हुई कॉपी संबंधित क्रेता को ई-मेल के माध्यम से भेजी जावेगी।

लघु वनोपज संघ द्वारा क्रेता करारनामा ई-साइन करने हेतु संघ के वेबसाइट Website: www.cgmfpfed.org में एक लिंक Online Signing of Purchaser's Agreement दिया गया है। उक्त लिंक को Click करने पर क्रेता हेतु एक User Manual तथा ई-साइन करने हेतु लिंक प्राप्त होगा, उस Manual में ई-साइन करने की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण दिया गया है।

Annexure - II (परिशिष्ट-II)

**CHHATTISGARH STATE MINOR FOREST PRODUCE
(TRADING & DEVELOPMENT) CO-OP. FEDERATION LIMITED
"VAN DHAN BHAVAN" Sector - 24, Nava Raipur, Atal Nagar**

Notification No./Vanopaj/Trade/M.S.P./2021/X

Dated 28.06.2021

आटी इमली, फूल इमली (बीज रहित), इमली बीज, जामुन पत्त्य, भेलवा, बहेड़ा, बहेड़ा कचरिया, गिलोय, कालमेघ, हर्रा, हर्रा कचरिया, वन तुलसी, पुवाड़ (चरोटा), बेल गुदा, पताल कुम्हड़ा (बेदारी कंद), कोरिया छाल, जामुन बीज (सूखा), चिरौंजी गुठली, धवई फूल, इन्द्र जौ, माहुल पत्ता, कुल्लु गोंद, सतावर (सूखा), पलाश फूल, वन जीरा, इमली ब्रिक्स (500ग्रा. का पैकेट), काजु, चिरौंजी दाना, फूल झाडू प्लास्टिक केन वाली, फूल झाडू प्लास्टिक पाइप वाली, रंगीनी लाख दाना, कुसुमी लाख दाना एवं महुआ तेल क्रय हेतु आनलाइन निविदा पत्र

Tamarind (with seed), Tamarind (De-seeded), Tamarind Seed, Black Berry (Pulp), Black Berry (Seed), Marking Nut, Baheda, Baheda Kachariya, Kalmegh, Giloy, Harra, Harra Kachariya, Van Tulsi, Bel Guda, Vidari Kand, Chironji Seed, Mahul Leaf, Satawar Dry, Tamarind (De-seeded) Bricks (Packet of 500 gm.), Cashew Nut, Chironji Seed Rangini Lac (Dana) & Kusumi Lac (Dana), Mahua Oil & Broom (with Plastic cane) & (with Plastic pipe)

ONLINE TENDER FORM FOR PURCHASE OF (Form No. 1)

1.	Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN) (Scanned Copy of certificate of Goods and Services Tax Identification Number to be Uploaded)	
2.	Outstanding dues of Forest Department / Federation against the Tenderer (Condition No. 1(IV) of Annexure - I) – In Rs.	
3.	Name of the Directors / Partners / Family Members (HUF)	
(1)		
(2)		
(3)		
(4)		
(5)		
(6)		
(7)		
(8)		
4.	Tenderer's Bank Details	
(a)	Type of Account	Drop Down Menu (Saving Bank A/c / Current A/c / Cash Credit A/c / Over Draft A/c)
(b)	Acoount Number	
(c)	Name of Bank and Branch	
(d)	IFS Code	

Lotwise Rate Offer
(Form No. 2)

Earnest Money Deposit (E.M.D.) - In Rs. : **Entered by Tenderer**

Purchase Capacity (P.C.) - In Rs. : **Non-edited (E.M.D. x 10)**

S.No.	Lot No. and Quantity (In Quintals)	Purchase Rate per Quintal (In Rs.)	Purchase Price (In Rs.) (Quantity x Rate)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

Documents to be Uploaded

(Form No. 3)

1.	Scanned copy of PAN Card (For all)
2.	Scanned copy of Aadhaar Card of Individual for Individual, Proprietor's for Proprietorship firm, in case of Company Aadhaar Card of two Director's and in case of Partnership firm Aadhaar Card of two Partners is required, in case of Hindu Undivided Family (HUF) Aadhaar Card of Karta and one adult family member has to be enclosed. (Mandatory)
3.	Scanned copy of certificate of Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN) (For all)
4.	Scanned copy of Partnership Deed (if applicable)
5.	Scanned copy of Certificate of Company Incorporation and List of Latest Directors of Company (if applicable)
6.	Scanned copy of Power of Attorney (if applicable)
7.	Scanned copy of list of family members in case of H.U.F
8.	Any other relevant Document

Annexure – IV

परिशिष्ट-IV

(Annexure to Tender Notification No./Vanopaj/Trade/M.S.P./2021/X Dated 28.06.2021)

TENDERER'S AGREEMENT

(Condition 4 (II) of Tender notice)

This agreement is made between Managing Director, Chhattisgarh State Minor Forest Produce (Trading & Development) Co-operative Federation Limited (hereinafter called 'Federation', which expression shall, where the context so admits, include its successors / representatives and assignees in office) of the first part and I / We (hereinafter called the Tenderer which expression shall include his heirs, successors, representatives and assignees) of the second part.

And whereas, the Federation desires to dispose of the MFPs Tamarind (with seed), Tamarind (De-seeded), Tamarind Seed, Black Berry (Pulp), Black Berry (Seed), Marking Nut, Baheda, Baheda Kachariya, Kalmegh, Giloy, Harra, Harra Kachariya, Van Tulsi, Bel Guda, Vidari Kand, Chironji Seed, Mahul Leaf, Satawar Dry, Tamarind (De-seeded) Bricks (Packet of 500 gm.), Cashew Nut, Chironji Seed Rangini Lac (Dana) & Kusumi Lac (Dana), Mahua Oil & Broom (with Plastic cane) & (with Plastic pipe) purchased under the Govt. of India scheme "Mechanism for Marketing of Minor Forest Produce (MFP) through Minimum Support Price (MSP) and Development of Value Chain for MFP", bagged and stored in godowns during collection season and has issued notice inviting offers for the vide e-Tender notice and also desires that the prospective Tenderers should execute an agreement before participating in the e-Tender to abide by the conditions of the e-Tender Notice.

Now the Tenderer hereby agrees as follows :-

1. I / We hereby declare that I / We have read and understood all the provisions of the Indian Forest Act, 1927, Chhattisgarh Abhivahan (Vanopaj) Niyam, 2001 and the rules made thereunder, the conditions of the e-Tender notice referred to above, Terms and conditions of e-Tender etc. contained in **Annexure - I** of the e-Tender notice and conditions of the Purchaser's Agreement appended to the e-Tender notice and agree to abide by the same.
2. I / We hereby declare that I / We shall not withdraw my / our offer after e-Tender. I / We further declare that I / We shall be bound by my / our offer and by the terms and conditions of the e-Tender notice till orders of competent authority, accepting / rejecting my / our offer, are passed or another person or party is appointed as purchaser of the lot(s) for which I / We have submitted the offer.
3. In the event of my / our failure to abide by the conditions of this agreement. I / We shall be liable to pay such penalty, as may be leviable under the terms and conditions of the offer notice.

4. This agreement shall be deemed and always be deemed to be subject to the provisions of Chhattisgarh Indian Forest Act, 1927, Chhattisgarh Abhivahan (Vanopaj) Niyam, 2001 and the rules made thereunder and the orders and notifications issued from time to time under the said Adhiniyam and the rules and terms and conditions of e-Tender Notice all of which shall form part of and shall be deemed to have become part of this agreement and shall be construed to have been specially provided for in this agreement.
5. I / We hereby declare that neither any dues of Forest Department / Federation are outstanding against me / us in Chhattisgarh nor have I / We been blacklisted by the Government / Federation.

In witness whereof the Tenderer has put his / her signature on the day and year written first above.

Note :- Since this document is being submitted as a part of digitally signed e-Tender process, so the physical signatures of the Tenderer and Managing Director, Chhattisgarh State Minor Forest Produce (Trading & Development) Co-op. Federation Limited are not available on this document.

परिशिष्ट- IV

(निविदा अधिसूचना क्रमांक/संघ/व्यापार/न्यू.स.मू./2021/X दिनांक 28.06.2021 का परिशिष्ट)

क्रेता का करारनामा

(निविदा सूचना की शर्त क्रमांक -7)

यह करार आज दिनांकमाह.....सन्.....को प्रथम पक्ष छत्तीसगढ़ के राज्यपाल जो विलेख के प्रयोजन के लिए प्रबंध संचालक, जिला यूनियन, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित..... जिला यूनियन (जो इसके पश्चात् प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के नाम से निर्दिष्ट है) के माध्यम से कार्य कर रहे हैं (जहां संदर्भ में ऐसा ग्राह्य हो, उसके कार्यालयीन उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे) तथा द्वितीय पक्ष के श्री.....
.....आत्मजनिवासी.....ग्राम...
.....और जो (1) श्री(2) श्री

.....(3) श्री के साथस्थित कम्पनी, जिसका नामहै तथा जो इंडियन कंपनी एक्ट, 1913 (7-1913), कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 1) के अधीन पंजीकृत है तथा जिसका पंजीकृत कार्यालयमें स्थित है, के साथ भागीदारी में कारोबार कर रहे हैं, जो इसमें इसके पश्चात् क्रेता के नाम से विनिर्दिष्ट है (जिस अभिव्यक्ति में, जब तक संदर्भ में इस प्रकार ग्राह्य न हो, उसके दायद, उत्तराधिकारी, निष्पादक और उनके उत्तरजीवी, अंतिम उत्तरजीवियों के दायद, निष्पादक तथा प्रशासक उक्त कंपनी का तत्कालीन भागीदार, उसके उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे) के बीच किया गया जाता है (उन शब्दों को काट दिया जाए जो लागू न हो) मेरे द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 और छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम, 2001 और उसके अधीन बनाये गये नियमों का भलिभंति पढ़ा और समझा गया, चूंकि राज्य शासन ने भारत शासन की “Mechanism for Marketing of Minor Forest Produce (MFP) through Minimum Support Price (MSP) and Development of Value Chain for MFP” आठी इमली, फूल इमली (बीज रहित), इमली बीज, जामुन पत्त्य, भेलवा, बहेड़ा, बहेड़ा कचरिया, गिलोय, कालमेघ, हर्रा, हर्रा कचरिया, वन तुलसी, पुवाड़ (चरोटा), बेल गुदा, पताल कुम्हड़ा (बिदारी कंद), कोरिया छाल, जामुन बीज (सूखा), चिरौंजी गुठली, धर्वई फूल, इन्द्र जौ, माहुल पत्ता, कुल्लु गोंद, सतावर (सूखा), पलाश फूल, वन जीरा, इमली ब्रिक्स (500ग्रा. का पैकेट), काजु, चिरौंजी दाना, फूल झाड़ू प्लास्टिक केन वाली, फूल झाड़ू प्लास्टिक पाईप वाली, रंगीनी लाख दाना, कुसुमी लाख दाना एवं महुआ तेल के विक्रय के लिए अपनी ई-निविदा अधिसूचना क्रमांक संघ / वनोपज /दिनांकके द्वारा ई-निविदा आयोजित की थी, और क्रेता लाट क्रमांक (अंकों में)
(शब्दों में) लाट का नाम एवं अधिसूचित मात्रा(अंकों में)
(शब्दों में) और जिसको कथित ई-निविदा अधिसूचना क्रमांक/संघ/व्यापार/न्यू.स.मू./2021/X दिनांक 28.06.2021 की अनुसूची में और पूर्णतया वर्णित किया गया है, के आठी इमली, फूल इमली (बीज रहित), इमली बीज, जामुन पत्त्य, भेलवा, बहेड़ा, बहेड़ा कचरिया, गिलोय, कालमेघ, हर्रा, हर्रा कचरिया, वन तुलसी, पुवाड़ (चरोटा), बेल गुदा, पताल कुम्हड़ा (बिदारी कंद), कोरिया छाल, जामुन बीज (सूखा), चिरौंजी गुठली, धर्वई फूल, इन्द्र जौ, माहुल पत्ता, कुल्लु गोंद, सतावर (सूखा), पलाश फूल, वन जीरा, इमली ब्रिक्स (500ग्रा. का पैकेट), काजु, चिरौंजी दाना, फूल झाड़ू प्लास्टिक केन वाली, फूल झाड़ू प्लास्टिक पाईप वाली, रंगीनी लाख दाना, कुसुमी लाख दाना एवं महुआ तेल का दिनांक को समाप्त होने वाली अवधि के लिए क्रेता नियुक्त करने के लिए वह सहमत हो गया है, अब यह प्रलेख निम्नलिखित बातों का साक्षी है और संबंधित पक्ष एतद् द्वारा निम्नलिखित रूप से परस्पर करार करते हैं:-

1. क्रेता करारनामा की अवधि -

यह करार दिनांक..... से प्रारम्भ होगा और दिनांक तक प्रवृत्त रहेगा जब तक कि इस करार के निवंधनों तथा शर्तों के अनुसार पूर्व में ही इसे समाप्त न कर दिया जाए।

2. करारनामे के भाग -

इस करार के संबंध में यही और सदैव यही समझा जावेगा कि वह अधिसूचना के साथ ही इस निविदा सूचना के निवंधनों तथा शर्तों के तथा इस निविदा सूचना के परिशिष्ट-I में उल्लेखित सामान्य / अन्य निबंधनों एवं शर्तों तथा निविदाकारों के लिए निर्देशों के जो सब इस करार के भाग होंगे, और इसके भाग बन गये समझे जावेगे, और जिनका अर्थ लगाया जायेगा कि इस प्रलेख में विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधों के अध्यधीन है।

3. क्रय दर आदि -

क्रेता इस लाट में गोदामीकृत मात्रा को जो कि अधिसूचित मात्रा से अधिक हो सकती है को रु.....
(अंकों में)..... (शब्दों में) प्रति किंवटल की दर पर क्रय करेगा। लाट के क्रय मूल्य के अतिरिक्त क्रेता समय-समय पर प्रवृत्त वस्तु एवं सेवा कर एवं सरचार्ज तथा अन्य कर / उपकर भी अदा करेगा।

4. क्रय मूल्य के भुगतान एवं परिदान की प्रक्रिया -

(I)(अ) जिला यूनियन की आटी इमली, फूल इमली (बीज रहित), इमली बीज, जामुन पल्प, भेलवा, बहेड़ा, बहेड़ा कचरिया, गिलोय, कालमेघ, हर्रा, हर्रा कचरिया, वन तुलसी, पुवाड़ (चरोटा), बेल गुदा, पताल कुम्हड़ा (बिदारी कंद), कोरिया छाल, जामुन बीज (सूखा), चिरौंजी गुठली, धवई फूल, इन्द्र जौ, माहुल पत्ता, कुल्लु गोद, सतावर (सूखा), पलाश फूल, वन जीरा, इमली ब्रिक्स (500ग्रा. का पैकेट), काजु, चिरौंजी दाना, फूल झाडू प्लास्टिक केन वाली, फूल झाडू प्लास्टिक पाईप वाली, रंगीनी लाख दाना, कुसुमी लाख दाना एवं महुआ तेल के लाट क्रमांक जिसे अनुसूची में अधिक पूर्णता से वर्णित किया गया है, के लगभग 50 किलो के बोरों में भेरे साल बीज एवं महुआ बीज, कुसुमी लाख का क्रेता निर्धारित गोदामों / कोल्ड स्टोरेज से बोरे सहित परिदान प्राप्त करेगा।

(ब) क्रेता को पूर्ण क्रय मूल्य की समस्त करों / उपकरों सहित देय राशि का भुगतान दो बराबर किस्तों में निम्नानुसार दर्शाई तिथियों को या उसके पूर्व करना होगा।

प्रथम चक्र		द्वितीय चक्र		तृतीय चक्र	
किश्त	देय तिथि	किश्त	देय तिथि	किश्त	देय तिथि
प्रथम	15.09.2021	प्रथम	14.10.2021	प्रथम	15.11.2021
द्वितीय	14.10.2021	द्वितीय	15.11.2021	द्वितीय	14.12.2021

जैसे ही क्रेता एक किस्त का भुगतान कर देता है वह इस शर्तों के उपबंधों के अन्तर्गत गोदाम / कोल्ड स्टोरेज में रखे आटी इमली, फूल इमली (बीज रहित), इमली बीज, जामुन पल्प, भेलवा, बहेड़ा, बहेड़ा कचरिया, गिलोय, कालमेघ, हर्रा, हर्रा कचरिया, वन तुलसी, पुवाड़ (चरोटा), बेल गुदा, पताल कुम्हड़ा (बिदारी कंद), कोरिया छाल, जामुन बीज (सूखा), चिरौंजी गुठली, धवई फूल, इन्द्र जौ, माहुल पत्ता, कुल्लु गोद, सतावर (सूखा), पलाश फूल, वन जीरा, इमली ब्रिक्स (500ग्रा. का पैकेट), काजु, चिरौंजी दाना, फूल झाडू प्लास्टिक केन वाली, फूल झाडू प्लास्टिक पाईप वाली, रंगीनी लाख दाना, कुसुमी लाख दाना एवं महुआ तेल की मात्रा का आधे भाग एक तरफ से पाने का छक्कार होगा। परिदान छल्ली (स्टेक) के उस एक ओर से ही दिया जावेगा जिस ओर से परिदान प्रारंभ किया गया है। छल्ली में से बोरों की छंटाई की अनुमति नहीं दी जावेगी।

(स) क्रेता को आटी इमली, फूल इमली (बीज रहित), इमली बीज, जामुन पल्प, भेलवा, बहेड़ा, बहेड़ा कचरिया, गिलोय, कालमेघ, हर्रा, हर्रा कचरिया, वन तुलसी, पुवाड़ (चरोटा), बेल गुदा, पताल कुम्हड़ा (बिदारी कंद), कोरिया छाल, जामुन बीज (सूखा), चिरौंजी गुठली, धवई फूल, इन्द्र जौ, माहुल पत्ता, कुल्लु गोद, सतावर (सूखा), पलाश फूल, वन जीरा, इमली ब्रिक्स (500ग्रा. का पैकेट), काजु, चिरौंजी दाना, फूल झाडू प्लास्टिक केन वाली, फूल झाडू प्लास्टिक पाईप वाली, रंगीनी लाख दाना, कुसुमी लाख दाना एवं महुआ तेल का परिदान किश्त की देय तिथि के 20 दिवस के भीतर किश्त का भुगतान कर प्राप्त करना होगा। इस अवधि में परिदान प्राप्त न करने पर अधिसूचित मात्रा की परिदान की गई मात्रा मानी जावेगी। प्रत्येक अवसर पर प्राप्त माल के बोरों की संख्या तथा मात्रा की पावती गोदाम / कोल्ड स्टोरेज के परिदानकर्ता अधिकारी को देना होगा।

(द) परिदान प्राप्त करते समय तौल कराने की जिम्मेदारी एवं तौलने का खर्च तथा आटी इमली, फूल इमली (बीज रहित), इमली बीज, जामुन पल्प, भेलवा, बहेड़ा, बहेड़ा कचरिया, गिलोय, कालमेघ, हर्रा, हर्रा कचरिया, वन तुलसी, पुवाड़ (चरोटा), बेल गुदा, पताल कुम्हड़ा (बिदारी कंद), कोरिया छाल, जामुन बीज (सूखा), चिरौंजी गुठली, धवई फूल, इन्द्र जौ, माहुल पत्ता, कुल्लु गोंद, सतावर (सूखा), पलाश फूल, वन जीरा, इमली ब्रिक्स (500ग्रा. का पैकेट), काजु, चिरौंजी दाना, फूल झाड़ू प्लास्टिक केन वाली, फूल झाड़ू प्लास्टिक पाईप वाली, रंगीनी लाख दाना, कुसुमी लाख दाना एवं महुआ तेल के बोरों को गोदाम / कोल्ड स्टोरेज से निकालने का खर्च सफल निविदाकार को वहन करना होगा।

(II) क्रेता इस करारनामे के तहत समस्त भुगतान परिशिष्ट-I की शर्त क्रमांक 14(II) के अनुसार करेगा।

(III) देय तिथियों पर किसी देय राशि का भुगतान न करने पर 0.035 प्रतिशत प्रति दिन की दर से विलंबित भुगतान पर विलंब शुल्क वसूल किया जावेगा। यदि किसी देय तिथि को सार्वजनिक अवकाश रहता है, तो विलंब शुल्क की गणना के लिये देय तिथि आगामी कार्य दिवस मानी जावेगी।

(IV) क्रेता गोदाम / कोल्ड स्टोरेज में भण्डारित किसी भी आटी इमली, फूल इमली (बीज रहित), इमली बीज, जामुन पल्प, भेलवा, बहेड़ा, बहेड़ा कचरिया, गिलोय, कालमेघ, हर्रा, हर्रा कचरिया, वन तुलसी, पुवाड़ (चरोटा), बेल गुदा, पताल कुम्हड़ा (बिदारी कंद), कोरिया छाल, जामुन बीज (सूखा), चिरौंजी गुठली, धवई फूल, इन्द्र जौ, माहुल पत्ता, कुल्लु गोंद, सतावर (सूखा), पलाश फूल, वन जीरा, इमली ब्रिक्स (500ग्रा. का पैकेट), काजु, चिरौंजी दाना, फूल झाड़ू प्लास्टिक केन वाली, फूल झाड़ू प्लास्टिक पाईप वाली, रंगीनी लाख दाना, कुसुमी लाख दाना एवं महुआ तेल की गुणवत्ता के छास का जोखिम क्रेता का होगा।

(V) क्रेता अधिसूचित मात्रा से अधिक भंडारित मात्रा (20 % अधिकतम) का परिदान क्रय मूल्य की पूर्ण राशि का भुगतान कर परिदान प्राप्त करने के लिये बाध्य होगा। आटी इमली, फूल इमली (बीज रहित), इमली बीज, जामुन पल्प, भेलवा, बहेड़ा, बहेड़ा कचरिया, गिलोय, कालमेघ, हर्रा, हर्रा कचरिया, वन तुलसी, पुवाड़ (चरोटा), बेल गुदा, पताल कुम्हड़ा (बिदारी कंद), कोरिया छाल, जामुन बीज (सूखा), चिरौंजी गुठली, धवई फूल, इन्द्र जौ, माहुल पत्ता, कुल्लु गोंद, सतावर (सूखा), पलाश फूल, वन जीरा, इमली ब्रिक्स (500ग्रा. का पैकेट), काजु, चिरौंजी दाना, फूल झाड़ू प्लास्टिक केन वाली, फूल झाड़ू प्लास्टिक पाईप वाली, रंगीनी लाख दाना, कुसुमी लाख दाना एवं महुआ तेल।

5. आटी इमली, फूल इमली (बीज रहित), इमली बीज, जामुन पल्प, भेलवा, बहेड़ा, बहेड़ा कचरिया, गिलोय, कालमेघ, हर्रा, हर्रा कचरिया, वन तुलसी, पुवाड़ (चरोटा), बेल गुदा, पताल कुम्हड़ा (बिदारी कंद), कोरिया छाल, जामुन बीज (सूखा), चिरौंजी गुठली, धवई फूल, इन्द्र जौ, माहुल पत्ता, कुल्लु गोंद, सतावर (सूखा), पलाश फूल, वन जीरा, इमली ब्रिक्स (500ग्रा. का पैकेट), काजु, चिरौंजी दाना, फूल झाड़ू प्लास्टिक केन वाली, फूल झाड़ू प्लास्टिक पाईप वाली, रंगीनी लाख दाना, कुसुमी लाख दाना एवं महुआ तेल की निकासी-

(क) क्रेता, क्रेता करारनामा की कंडिका 4 के अनुसार देय राशि का भुगतान कर संग्रहण केन्द्र से आटी इमली, फूल इमली (बीज रहित), इमली बीज, जामुन पल्प, भेलवा, बहेड़ा, बहेड़ा कचरिया, गिलोय, कालमेघ, हर्रा, हर्रा कचरिया, वन तुलसी, पुवाड़ (चरोटा), बेल गुदा, पताल कुम्हड़ा (बिदारी कंद), कोरिया छाल, जामुन बीज (सूखा), चिरौंजी गुठली, धवई फूल, इन्द्र जौ, माहुल पत्ता, कुल्लु गोंद, सतावर (सूखा), पलाश फूल, वन जीरा, इमली ब्रिक्स (500ग्रा. का पैकेट), काजु, चिरौंजी दाना, फूल झाड़ू प्लास्टिक केन वाली, फूल झाड़ू प्लास्टिक पाईप वाली, रंगीनी लाख दाना, कुसुमी लाख दाना एवं महुआ तेल जहां ले जाना चाहे, उसके लिए छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम, 2001 प्रावधानों के अनुरूप परिवहन अनुज्ञा पत्र प्राप्त कर ले जा सकता है। देय राशि में संघ को इस करारनामे के अंतर्गत शेष क्रय मूल्य एवं देय समस्त कर, गोदाम / कोल्ड स्टोरेज किराया संघ द्वारा समय-समय पर निर्धारित सम्मिलित होंगा।

(ख) क्रेता बिना मूल्य वृद्धि (वैल्यू एडिशन) किये आटी इमली, फूल इमली (बीज रहित), इमली बीज, जामुन पल्प, भेलवा, बहेड़ा, बहेड़ा कचरिया, गिलोय, कालमेघ, हर्रा, हर्रा कचरिया, वन तुलसी, पुवाड़ (चरोटा), बेल गुदा, पताल कुम्हड़ा (बिदारी कंद), कोरिया छाल, जामुन बीज (सूखा), चिरौंजी गुठली, धवई फूल, इन्द्र जौ, माहुल पत्ता, कुल्लु गोंद, सतावर (सूखा), पलाश फूल, वन जीरा, इमली ब्रिक्स (500ग्रा. का

पैकेट), काजु, चिरौंजी दाना, फूल झाडू प्लास्टिक केन वाली, फूल झाडू प्लास्टिक पाईप वाली, रंगीनी लाख दाना, कुसुमी लाख दाना एवं महुआ तेल को छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर वन विभाग द्वारा जारी परिवहन अनुज्ञापत्र से परिवहन कर सकेगा।

6. करों का भुगतान -

- (I) इस करार के अधीन संघ को देय कोई भी राशि तब तक दी गई नहीं मानी जायेगी, जब तक उस पर देय समस्त कर का भी भुगतान न कर दिया जाए।
- (II) क्रेता छत्तीसगढ़ राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 तथा उसके यथा संशोधित उपबंधों के अनुसार वस्तु एवं सेवा कर तथा अन्य करों / उपकरों का भुगतान बैंक / डिमांड ड्राफ्ट द्वारा प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के पक्ष में जिला यूनियन के मुख्यालय पर करेगा।
- (III) क्रेता, जब तक उसे आयकर प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में छूट नहीं दे दी गई हो, आयकर अधिनियम 1961 तथा उसके यथा संशोधित उपबंधों के अनुसार आयकर का भुगतान प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के पक्ष में, उनके मुख्यालय पर देय, किसी भी अनुसूचित बैंक के पृथक बैंक ड्राफ्ट / डिमांड ड्राफ्ट के रूप में करेगा। यथा स्थिति संघ को देय साल बीज एवं महुआ बीज, कुसुमी लाख के क्रय मूल्य या उसके भाग का तब तक भुगतान नहीं माना जाएगा, जब तक कि उस पर देय आयकर का भी पूर्णतः भुगतान नहीं कर दिया गया हो।
- (IV) क्रेता पश्चातवर्ती दायित्वों के लिये भी यदि कोई हो तो जिसमें कि इस करार के अधीन उसको बेचे गये आठी इमली, फूल इमली (बीज रहित), इमली बीज, जामुन पल्प, भेलवा, बहेड़ा, बहेड़ा कचरिया, गिलोय, कालमेघ, हर्रा, हर्रा कचरिया, वन तुलसी, पुवाड़ (चरोटा), बेल गुदा, पताल कुम्हड़ा (बेदारी कंद), कोरिया छाल, जामुन बीज (सूखा), चिरौंजी गुठली, धवई फूल, इन्द्र जौ, माहुल पत्ता, कुल्लु गोंद, सतावर (सूखा), पलाश फूल, वन जीरा, इमली ब्रिक्स (500ग्रा. का पैकेट), काजु, चिरौंजी दाना, फूल झाडू प्लास्टिक केन वाली, फूल झाडू प्लास्टिक पाईप वाली, रंगीनी लाख दाना, कुसुमी लाख दाना एवं महुआ तेल के संबंध में राज्य शासन के वाणिज्यिक कर विभाग या केन्द्रीय सरकार या वन विभाग द्वारा वाणिज्यिक कर एवं अन्य टेक्स के मुद्रे अधिरोपित की गई अतिरिक्त नाराशियों की देनगी है उत्तरदायी होगा।

7. विक्रय प्रमाण पत्र जारी करना -

संघ या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या वन मंडलाधिकारी क्रेता को आठी इमली, फूल इमली (बीज रहित), इमली बीज, जामुन पल्प, भेलवा, बहेड़ा, बहेड़ा कचरिया, गिलोय, कालमेघ, हर्रा, हर्रा कचरिया, वन तुलसी, पुवाड़ (चरोटा), बेल गुदा, पताल कुम्हड़ा (बेदारी कंद), कोरिया छाल, जामुन बीज (सूखा), चिरौंजी गुठली, धवई फूल, इन्द्र जौ, माहुल पत्ता, कुल्लु गोंद, सतावर (सूखा), पलाश फूल, वन जीरा, इमली ब्रिक्स (500ग्रा. का पैकेट), काजु, चिरौंजी दाना, फूल झाडू प्लास्टिक केन वाली, फूल झाडू प्लास्टिक पाईप वाली, रंगीनी लाख दाना, कुसुमी लाख दाना एवं महुआ तेल के परिदान के पश्चात् उसका विक्रय प्रमाण- पत्र प्रदान करेगा।

8. करारनामे का अनुपालन -

यदि पूर्वोक्त एवं निविदा सूचना में विनिर्दिष्ट परिवहन / निकासी तथा क्रय की शर्तों का पूर्णतः पालन / परिपालन नहीं किया जाता है, तो आठी इमली, फूल इमली (बीज रहित), इमली बीज, जामुन पल्प, भेलवा, बहेड़ा, बहेड़ा कचरिया, गिलोय, कालमेघ, हर्रा, हर्रा कचरिया, वन तुलसी, पुवाड़ (चरोटा), बेल गुदा, पताल कुम्हड़ा (बेदारी कंद), कोरिया छाल, जामुन बीज (सूखा), चिरौंजी गुठली, धवई फूल, इन्द्र जौ, माहुल पत्ता, कुल्लु गोंद, सतावर (सूखा), पलाश फूल, वन जीरा, इमली ब्रिक्स (500ग्रा. का पैकेट), काजु, चिरौंजी दाना, फूल झाडू प्लास्टिक केन वाली, फूल झाडू प्लास्टिक पाईप वाली, रंगीनी लाख दाना, कुसुमी लाख दाना एवं महुआ तेल को क्रय किया गया नहीं समझा जावेगा।

9. प्रतिभूति निषेप

- (I) क्रेता भारतीय वन अधिनियम, 1927 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के द्वारा या अधीन जहां तक कि वे इस करार के संदर्भ में लागू होते हों, उसके द्वारा किये जाने के लिए अपेक्षित समस्त कार्यों तथा कर्तव्यों को करने तथा निषिद्ध किये गये किसी कार्य के स्वयं द्वारा उसके सेवकों तथा अभिहस्तांकितियों द्वारा किये जाने से विरक्त रहने के लिए स्वयं को आबद्ध करता है और अपने द्वारा तथा अपने सेवकों तथा अभिहस्तांकितियों द्वारा इस करार के निबंधनों तथा शर्तों के सम्बन्ध पालन तथा अनुपालन किए जाने के लिए प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के पक्ष में उसके द्वारा निविदा सूचना के प्रावधानों के अनुसार रूपये..... की राशि प्रतिभूति के रूप में नियमानुसार निषेपित की गई है।
- (II) यह प्रतिभूति निषेप, यथास्थिति या तो पूर्णतः या आंशिक रूप में वन मण्डलाधिकारी द्वारा करारनामा तथा इन शर्तों के उपबंधों के अधीन क्रेता से वसूली योग्य किसी रकम, क्रय मूल्य सहित, यदि कोई हो, के प्रति समायोजित किया जा सकता है और समस्त ऐसी कटौतियों की पूर्ति क्रेता द्वारा इस आशय की सूचना जारी होने के 15 दिन के भीतर उतनी ही रकम जमा करके की जावेगी।
- (III) यदि क्रेता से वसूल की जाने वाली बकाया राशि प्रतिभूति निषेप की रकम से अधिक हो, तो अधिक होने वाली रकम, जब तक कि उसकी पूर्ति वन मण्डलाधिकारी को उस आशय की सूचना जारी होने के पन्द्रह दिन के भीतर न की जाये, भू-राजस्व के बकाया की बतौर वसूली के योग्य होगी।
- (IV) यथा स्थिति प्रतिभूति निषेप या अवशेष राशि, जैसी भी स्थिति हो, वन मण्डलाधिकारी एवं प्रबंध संचालक जिला यूनियन की संतुष्टि कि क्रेता के द्वारा क्रेता करारनामे के समस्त निबंधनों एवं शर्तों, तथा निविदा सूचना की शर्तों का पालन किया गया है और कोई भी राशि उसके विरुद्ध शेष नहीं निकलती है, अंतिम भुगतान में समायोजित की जा सकेगी।

10. अधिनियमों का उल्लंघन आदि -

क्रेता यह करार करता है कि वह उसके अथवा उसके द्वारा नियोजित किए गए व्यक्तियों के द्वारा अधिनियम, नियमावली और इस करारनामे के प्रावधानों के किए गए प्रत्येक उल्लंघन के लिए संघ / शासन को रु. 15,000/- (पन्द्रह हजार) तक की राशि की देनगी करेगा।

11. शास्तियां -

यदि क्रेता करार की किसी भी शर्त को भंग करें और यदि ऐसे भंग के कारण करार को समाप्त करना प्रस्तावित न हो तो जिला यूनियन के प्रबंध संचालक प्रत्येक भंग के लिए ऐसी शास्ति जो रूपये 1000/- (एक हजार) से अधिक न हो, अधिरोपित कर सकेगा। यदि शास्ति की राशि रूपये 500/- (पाँच सौ) से अधिक हो, तो इस आदेश के विरुद्ध आदेश जारी होने के 30 दिन की अवधि के भीतर अपील मुख्य वन संरक्षक को की जा सकेगी, जिसका विनिश्चय अंतिम तथा बंधनकारी होगा।

12. क्रेता के करारनामे की समाप्ति -

- (I) यदि क्रेता विक्रय मूल्य की देय राशि (कर / उपकर सहित) देय तिथि के 15 दिन के अन्दर या अन्य कोई देय राशि 15 दिन के अन्दर अदा नहीं करता है या इस प्रलेख के उपबंधों में से किसी भी उपबंध का अनुवर्तन करने में चूक करता है, तो ऐसे किन्हीं भी अधिकार तथा उपचारों पर जो प्रबंध संचालक, जिला यूनियन को प्राप्त हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रबंध संचालक, जिला यूनियन अपने विवेक पर इस करार को क्रेता को 15 दिन का नोटिस देकर एवं उसे सुनवाई का अवसर देकर समाप्त कर सकेगा और क्रेता का नाम पाँच वर्ष तक की कालावधि के लिये काली सूची में मुख्य वन संरक्षक दर्ज कर सकेगा।
- (II) करार की समाप्ति का आदेश क्रेता को व्यक्तिशः परिदत्त किया जावेगा या रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा जावेगा। करार की समाप्ति करार के समाप्त करने के आदेश के दिनांक से प्रभावी होगी।

(III) करार की समाप्ति पर संघ, निम्नलिखित के लिए हकदार होगा:-

- (अ) संपूर्ण प्रतिभूति निक्षेप की राशि को अधिवरित करने।
- (ब) इकाई के संग्रहण केन्द्रों / गोदामों / कोल्ड स्टोरेज में रखे आठी इमली, फूल इमली (बीज रहित), इमली बीज, जामुन पत्त्य, भेलवा, बहेड़ा, बहेड़ा कचरिया, गिलोय, कालमेघ, हर्रा, हर्रा कचरिया, वन तुलसी, पुवाड़ (चरोटा), बेल गुदा, पताल कुम्हड़ा (बिदारी कंद), कोरिया छाल, जामुन बीज (सूखा), चिरौंजी गुठली, धवई फूल, इन्द्र जौ, माहुल पत्ता, कुल्लु गोंद, सतावर (सूखा), पलाश फूल, वन जीरा, इमली ब्रिक्स (500ग्रा. का पैकेट), काजु, चिरौंजी दाना, फूल झाड़ू प्लास्टिक केन वाली, फूल झाड़ू प्लास्टिक पाईप वाली, रंगीनी लाख दाना, कुसुमी लाख दाना एवं महुआ तेल के स्कंध, जिसकी समस्त देय राशि का भुगतान कर दिया गया है परन्तु संग्रहण केन्द्र से परिदान प्राप्त नहीं किया गया है या संग्रहण केन्द्र से परिदान प्राप्त करने के उपरान्त संग्रहण केन्द्रों / गोदामों / कोल्ड स्टोरेज से निकासी नहीं की हो, को संघ के पक्ष में अधिवरित करने।
- (स) (एक) इकाई के संग्रहण केन्द्रों / गोदामों / कोल्ड स्टोरेज में रखे आठी इमली, फूल इमली (बीज रहित), इमली बीज, जामुन पत्त्य, भेलवा, बहेड़ा, बहेड़ा कचरिया, गिलोय, कालमेघ, हर्रा, हर्रा कचरिया, वन तुलसी, पुवाड़ (चरोटा), बेल गुदा, पताल कुम्हड़ा (बिदारी कंद), कोरिया छाल, जामुन बीज (सूखा), चिरौंजी गुठली, धवई फूल, इन्द्र जौ, माहुल पत्ता, कुल्लु गोंद, सतावर (सूखा), पलाश फूल, वन जीरा, इमली ब्रिक्स (500ग्रा. का पैकेट), काजु, चिरौंजी दाना, फूल झाड़ू प्लास्टिक केन वाली, फूल झाड़ू प्लास्टिक पाईप वाली, रंगीनी लाख दाना, कुसुमी लाख दाना एवं महुआ तेल के उस स्कंध का जिसके लिये देय राशि का भुगतान नहीं किया गया है तथा वह स्कंध जो संघ के पक्ष में शर्त क्रमांक (IV)(ब) के अधीन अधिवरित किया गया है का विक्रय करने और हानि की वसूली करने। करारनामा समाप्त होने की दशा में क्रेता से हानि की वसूली हेतु गणना निम्नानुसार की जावेगी:-
संबंधित निविदा / नीलाम से समस्त करों सहित संभावित प्राप्तियां (+) पुनः निर्वर्तन तक गोदाम, पयवेक्षण इत्यादि का व्यय (-) पश्चातवर्ती निविदा / नीलाम से समस्त करों सहित प्राप्तियां (-), अधिवरित की गई सत्यंकार एवं प्रतिभूति निक्षेप से प्राप्त राशि।
- (दो) यदि आठी इमली, फूल इमली (बीज रहित), इमली बीज, जामुन पत्त्य, भेलवा, बहेड़ा कचरिया, गिलोय, कालमेघ, हर्रा, हर्रा कचरिया, वन तुलसी, पुवाड़ (चरोटा), बेल गुदा, पताल कुम्हड़ा (बिदारी कंद), कोरिया छाल, जामुन बीज (सूखा), चिरौंजी गुठली, धवई फूल, इन्द्र जौ, माहुल पत्ता, कुल्लु गोंद, सतावर (सूखा), पलाश फूल, वन जीरा, इमली ब्रिक्स (500ग्रा. का पैकेट), काजु, चिरौंजी दाना, फूल झाड़ू प्लास्टिक केन वाली, फूल झाड़ू प्लास्टिक पाईप वाली, रंगीनी लाख दाना, कुसुमी लाख दाना एवं महुआ तेल का पुर्नविक्रय हो जाता है तो प्राप्त क्रय मूल्य का समायोजन हानि की राशि में किया जावेगा। यदि हानि की वसूली हो चुकी हो तो ऐसी दशा में प्राप्त क्रय मूल्य क्रेता को भुगतान कर दिया जावेगा परन्तु ऐसी राशि पर क्रेता को कोई विलंब शुल्क देय नहीं होगा। यदि ऐसे पुनः विक्रय पर इकाई के लिये देय राशि से अधिक राशि प्राप्त होती है तो, संघ पूर्ण राशि प्रतिधारित करने का हकदार होगा और क्रेता का उस पर कोई अधिकार या दावा नहीं होगा।
- (तीन) इसके पश्चात् भी कोई हानि की वसूली शेष हो तो, ऐसी शेष हानि की राशि को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करने,
- (द) हानि की वसूली के लिये किये गये समस्त खर्चे एवं व्यय वसूल करने,
- (ई) अधिरोपित की गई समस्त शास्त्रियां तथा निर्धारित क्षतिपूर्ति, जिसका भुगतान नहीं हुआ हो वसूल करने,
- (IV) यदि करारनामा समाप्ति के उपरांत एवं आठी इमली, फूल इमली (बीज रहित), इमली बीज, जामुन पत्त्य, भेलवा, बहेड़ा, बहेड़ा कचरिया, गिलोय, कालमेघ, हर्रा, हर्रा कचरिया, वन तुलसी, पुवाड़ (चरोटा), बेल

गुदा, पताल कुम्हड़ा (बेदारी कंद), कोरिया छाल, जामुन बीज (सूखा), चिरौंजी गुठली, धवई फूल, इन्द्र जौ, माहुल पत्ता, कुल्लु गोंद, सतावर (सूखा), पलाश फूल, वन जीरा, इमली ब्रिक्स (500ग्रा. का पैकेट), काजु, चिरौंजी दाना, फूल झाड़ू प्लास्टिक केन वाली, फूल झाड़ू प्लास्टिक पाईप वाली, रंगीनी लाख दाना, कुसुमी लाख दाना एवं महुआ तेल की पुनः विक्रय की कार्यवाही के पूर्व बकायादार क्रेता द्वारा संघ को देय समस्त धनराशि जिसमें देय राशि, विलंब शुल्क, समस्त देयकर एवं उपकर, निगरानी शुल्क, अधिरोपित शास्तियां, संघ द्वारा निर्धारित दर से गोदाम / कोल्ड स्टोरेज किराया संघ द्वारा समय-समय पर निर्धारित तथा रूपये 10,000/- पुर्नजीवन शुल्क आदि विशेष रूप से सम्मिलित होंगे, का पूर्ण भुगतान प्रबंध संचालक जिला यूनियन के कार्यालय में कर दिया जाता है तो संघ के प्रबंध संचालक अपने स्वविवेक से उक्त करार को पुनर्जीवित कर सकेंगे और करार अवधि को आवश्यक होने पर बढ़ा सकेंगे तथा उपरोक्तानुसार समस्त देय राशि एवं पुनर्जीवन शुल्क के पूर्ण भुगतान के उपरांत ही आटी इमली, फूल इमली (बीज रहित), इमली बीज, जामुन पल्प, भेलवा, बहेड़ा, बहेड़ा कचरिया, गिलोय, कालमेघ, हर्रा, हर्रा कचरिया, वन तुलसी, पुवाड़ (चरोटा), बेल गुदा, पताल कुम्हड़ा (बेदारी कंद), कोरिया छाल, जामुन बीज (सूखा), चिरौंजी गुठली, धवई फूल, इन्द्र जौ, माहुल पत्ता, कुल्लु गोंद, सतावर (सूखा), पलाश फूल, वन जीरा, इमली ब्रिक्स (500ग्रा. का पैकेट), काजु, चिरौंजी दाना, फूल झाड़ू प्लास्टिक केन वाली, फूल झाड़ू प्लास्टिक पाईप वाली, रंगीनी लाख दाना, कुसुमी लाख दाना एवं महुआ तेल के स्टाक को निकासी / परिवहन की अनुमति दी जावेगी।

(V) जब भी करार को पुनर्जीवित किया जाता है तो समाप्ति के कारण अधिहरित प्रतिभूति निष्क्रेप स्वतः प्रत्यावर्तित हो जावेगी।

(VI) तथापि यदि क्रेता का करारनामा समाप्त नहीं किया गया है एवं करार अवधि समाप्त हो चुकी है तो आटी इमली, फूल इमली (बीज रहित), इमली बीज, जामुन पल्प, भेलवा, बहेड़ा, बहेड़ा कचरिया, गिलोय, कालमेघ, हर्रा, हर्रा कचरिया, वन तुलसी, पुवाड़ (चरोटा), बेल गुदा, पताल कुम्हड़ा (बेदारी कंद), कोरिया छाल, जामुन बीज (सूखा), चिरौंजी गुठली, धवई फूल, इन्द्र जौ, माहुल पत्ता, कुल्लु गोंद, सतावर (सूखा), पलाश फूल, वन जीरा, इमली ब्रिक्स (500ग्रा. का पैकेट), काजु, चिरौंजी दाना, फूल झाड़ू प्लास्टिक केन वाली, फूल झाड़ू प्लास्टिक पाईप वाली, रंगीनी लाख दाना, कुसुमी लाख दाना एवं महुआ तेल की पुनः विक्रय की कार्यवाही के पूर्व क्रेता द्वारा संघ को देय समस्त धन राशि जिसमें देय राशि, विलंब शुल्क, समस्त देयकर एवं उपकर, निगरानी शुल्क, अधिरोपित शास्तियां, संघ द्वारा निर्धारित दर से गोदाम / कोल्ड स्टोरेज किराया संघ द्वारा समय-समय पर निर्धारित तथा रूपये 10,000/- अवधि वृद्धि शुल्क आदि विशेष रूप से सम्मिलित होंगे, का पूर्ण भुगतान कर दिया जाता है तो संघ के प्रबंध संचालक स्वविवेक से आटी इमली, फूल इमली (बीज रहित), इमली बीज, जामुन पल्प, भेलवा, बहेड़ा, बहेड़ा कचरिया, गिलोय, कालमेघ, हर्रा, हर्रा कचरिया, वन तुलसी, पुवाड़ (चरोटा), बेल गुदा, पताल कुम्हड़ा (बेदारी कंद), कोरिया छाल, जामुन बीज (सूखा), चिरौंजी गुठली, धवई फूल, इन्द्र जौ, माहुल पत्ता, कुल्लु गोंद, सतावर (सूखा), पलाश फूल, वन जीरा, इमली ब्रिक्स (500ग्रा. का पैकेट), काजु, चिरौंजी दाना, फूल झाड़ू प्लास्टिक केन वाली, फूल झाड़ू प्लास्टिक पाईप वाली, रंगीनी लाख दाना, कुसुमी लाख दाना एवं महुआ तेल हटाने की अनुमति क्रेता द्वारा लिखित में आवेदन पत्र देने पर दे सकेंगे।

13. लेखाओं का रख रखाव -

क्रेता ऐसे प्रफत्रों में ऐसे लेखा एवं ऐसे अभिलेख रखेगा, तथा ऐसी पाक्षिक विवरणियां ऐसी तिथियों को या उनके पूर्व प्रस्तुत करेगा जैसा जिला यूनियन के प्रबंध संचालक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जाए। संग्रहण केन्द्र पर रखे जाने वाले अभिलेख निरीक्षण हेतु किसी भी वन अधिकारी एवं प्रबंध संचालक जिला यूनियन द्वारा अधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत किये जावेंगे।

14. क्रेता के द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन -

क्रेता ऐसे समस्त कार्यों एवं कर्तव्यों, जो उसके द्वारा किये गये जाने के लिए अपेक्षित हैं, का निर्वहन करेगा और निषिद्ध ऐसे कार्य जहां तक ये इस करार के संदर्भ में असंगत न हो, स्वयं के या उसके सेवकों या अभिकर्ताओं द्वारा किये जाने से प्रविरत रहेगा।

15. आठी इमली, फूल इमली (बीज रहित), इमली बीज, जामुन पत्त्य, भेलवा, बहेड़ा, बहेड़ा कचरिया, गिलोय, कालमेघ, हर्रा, हर्रा कचरिया, वन तुलसी, पुवाड़ (चरोटा), बेल गुदा, पताल कुम्हड़ा (बिदारी कंद), कोरिया छाल, जामुन बीज (सूखा), चिरौंजी गुठली, धवई फूल, इन्द्र जौ, माहुल पत्ता, कुल्लु गोंद, सतावर (सूखा), पलाश फूल, वन जीरा, इमली ब्रिक्स (500ग्रा. का पैकेट), काजु, चिरौंजी दाना, फूल झाड़ प्लास्टिक केन वाली, फूल झाड़ प्लास्टिक पाईप वाली, रंगीनी लाख दाना, कुसुमी लाख दाना एवं महुआ तेल का परिवहन और अनुज्ञापत्र जारी करना -

आठी इमली, फूल इमली (बीज रहित), इमली बीज, जामुन पत्त्य, भेलवा, बहेड़ा, बहेड़ा कचरिया, गिलोय, कालमेघ, हर्रा, हर्रा कचरिया, वन तुलसी, पुवाड़ (चरोटा), बेल गुदा, पताल कुम्हड़ा (बिदारी कंद), कोरिया छाल, जामुन बीज (सूखा), चिरौंजी गुठली, धवई फूल, इन्द्र जौ, माहुल पत्ता, कुल्लु गोंद, सतावर (सूखा), पलाश फूल, वन जीरा, इमली ब्रिक्स (500ग्रा. का पैकेट), काजु, चिरौंजी दाना, फूल झाड़ प्लास्टिक केन वाली, फूल झाड़ प्लास्टिक पाईप वाली, रंगीनी लाख दाना, कुसुमी लाख दाना एवं महुआ तेल का परिवहन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये परिवहन अनुज्ञा पत्र के बिना जैसा कि भारतीय वन अधिनियम, 1927 और उसके अधीन बनाये गए नियमों में अनुद्यात है, नहीं करेगा।

16. स्टाम्प शुल्क का भुगतान -

छत्तीसगढ़ राज्य में लागू हुये रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 और न्यायालय फीस अधिनियम 1870 और उनके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों का सभी समयों पर क्रेता पालन करेगा।

17. प्रथम प्रभार -

(एक) यथास्थिति क्रय मूल्य या उनकी अतिशेष ऐसी समस्त रकम, जो निविदा सूचना के निबंधनों तथा शर्तों तथा इस करार के निबंधनों तथा शर्तों, अधिनियम और नियमों के अधीन देय है, क्रेता द्वारा परिवहन कर लिए गये आठी इमली, फूल इमली (बीज रहित), इमली बीज, जामुन पत्त्य, भेलवा, बहेड़ा, बहेड़ा कचरिया, गिलोय, कालमेघ, हर्रा, हर्रा कचरिया, वन तुलसी, पुवाड़ (चरोटा), बेल गुदा, पताल कुम्हड़ा (बिदारी कंद), कोरिया छाल, जामुन बीज (सूखा), चिरौंजी गुठली, धवई फूल, इन्द्र जौ, माहुल पत्ता, कुल्लु गोंद, सतावर (सूखा), पलाश फूल, वन जीरा, इमली ब्रिक्स (500ग्रा. का पैकेट), काजु, चिरौंजी दाना, फूल झाड़ प्लास्टिक केन वाली, फूल झाड़ प्लास्टिक पाईप वाली, रंगीनी लाख दाना, कुसुमी लाख दाना एवं महुआ तेल पर प्रथम प्रभार होगी।

(दो) आठी इमली, फूल इमली (बीज रहित), इमली बीज, जामुन पत्त्य, भेलवा, बहेड़ा, बहेड़ा कचरिया, गिलोय, कालमेघ, हर्रा, हर्रा कचरिया, वन तुलसी, पुवाड़ (चरोटा), बेल गुदा, पताल कुम्हड़ा (बिदारी कंद), कोरिया छाल, जामुन बीज (सूखा), चिरौंजी गुठली, धवई फूल, इन्द्र जौ, माहुल पत्ता, कुल्लु गोंद, सतावर (सूखा), पलाश फूल, वन जीरा, इमली ब्रिक्स (500ग्रा. का पैकेट), काजु, चिरौंजी दाना, फूल झाड़ प्लास्टिक केन वाली, फूल झाड़ प्लास्टिक पाईप वाली, रंगीनी लाख दाना, कुसुमी लाख दाना एवं महुआ तेल का निर्यात या किसी अन्य प्रकार से उनका व्ययन तब तक नहीं करेगा, जब तक कि यह प्रभार पूर्णतः उन्मेचित न कर दिया जाये।

18. न्यायालय की अधिकारिता -

(एक) इस करार के अधीन उद्भूत होने वाला कोई विवाद, छत्तीसगढ़ न्यायालयों की अधिकारिता अध्याधीन होगा।

(दो) यदि कोई क्रेता शासन / संघ के विरुद्ध न्यायालय में जाता है तथा निर्णय शासन / संघ के पक्ष में होता है तो क्रेता न्यायालयीन कार्यवाही के कारण वनोपज के मूल्य में हुई कमी के लिये उत्तरदायी होगा, इसकी वसूली क्रेता से विलंब शुल्क सहित की जावेगी। जिसके साक्ष्य में, इसमें उपर लिखित दिनांक तथा सन् को प्रबंध संचालक, जिला यूनियन ने यहां अपने हस्ताक्षर किये हैं तथा अपने कार्यालय की सील लगाई है और उपर नामित क्रेता (क्रेताओं) ने अपने / उनके अपने-अपने हस्ताक्षर किये हैं।

निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में प्रबंध संचालक, जिला यूनियन द्वारा हस्ताक्षर किये गये, सील लगाई गई और परिदृष्ट किया गया।

साक्षीगण:-

1.
 (हस्ताक्षर)
 नाम एवं डाक का पूरा पता

संघ की ओर से प्रबंध संचालक, जिला यूनियन
 जिला यूनियन

2.
 (हस्ताक्षर)
 नाम एवं डाक का पूरा पता

निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में उपर नामित क्रेता द्वारा हस्ताक्षर किये गये:-

साक्षीगण:-

1.
 (हस्ताक्षर)
 नाम एवं डाक का पूरा पता

क्रेता / क्रेताओं के हस्ताक्षर
 नाम-.....

2.
 (हस्ताक्षर)
 नाम एवं डाक का पूरा पता

डाक का पता-.....

Annexure – V

(Annexure to e-Tender Notification No./Vanopaj/Trade/M.S.P./2021/X Dated 28.06.2021)

Tamarind (with seed), Tamarind (De-seeded), Tamarind Seed, Black Berry (Pulp), Black Berry (Seed), Marking Nut, Baheda, Baheda Kachariya, Kalmegh, Giloy, Harra, Harra Kachariya, Van Tulsi, Bel Guda, Vidari Kand, Chironji Seed, Mahul Leaf, Satawar Dry, Tamarind (De-seeded) Bricks (Packet of 500 gm.), Cashew Nut, Chironji Seed Rangini Lac (Dana) & Kusumi Lac (Dana), Mahua Oil & Broom (with Plastic cane) & (with Plastic pipe)

(C.G LAGHU VANOPAJ SANGH)

TENDERER WISE ALLOTMENT LIST

(Condition 7 of e-Tender Notice)

Tender Opening Date :

Tenderer's Name	Tenderer's E.M.D. (In Rs.)	Lot No.	Lot Name	Quantity (In Quintals)	Sanctioned Rate per Quintal (In Rs.)	Total Value of Lot (In Rs.)

Annexure – VI

(Annexure to e-Tender Notification No./Vanopaj/Trade/M.S.P./2021/X Dated 28.06.2021)

Tamarind (with seed), Tamarind (De-seeded), Tamarind Seed, Black Berry (Pulp), Black Berry (Seed), Marking Nut, Baheda, Baheda Kachariya, Kalmegh, Giloy, Harra, Harra Kachariya, Van Tulsi, Bel Guda, Vidari Kand, Chironji Seed, Mahul Leaf, Satawar Dry, Tamarind (De-seeded) Bricks (Packet of 500 gm.), Cashew Nut, Chironji Seed Rangini Lac (Dana) & Kusumi Lac (Dana), Mahua Oil & Broom (with Plastic cane) & (with Plastic pipe)

(C.G LAGHU VANOPAJ SANGH)

LIST OF SUCCESSFUL TENDERERS

(Condition 7 of Tender Notice)

Tender Opening Date :

S.No.	Tenderer's Name	Deposited E.M.D. (In Rs.)	Adjusted E.M.D. in Sanctioned Lots (In Rs.)	Unadjusted E.M.D. to be Refunded (In Rs.)

Annexure – VII

(Annexure to e-Tender Notification No./Vanopaj/Trade/M.S.P./2021/X Dated 28.06.2021)

Tamarind (with seed), Tamarind (De-seeded), Tamarind Seed, Black Berry (Pulp), Black Berry (Seed), Marking Nut, Baheda, Baheda Kachariya, Kalmegh, Giloy, Harra, Harra Kachariya, Van Tulsi, Bel Guda, Vidari Kand, Chironji Seed, Mahul Leaf, Satawar Dry, Tamarind (De-seeded) Bricks (Packet of 500 gm.), Cashew Nut, Chironji Seed Rangini Lac (Dana) & Kusumi Lac (Dana), Mahua Oil & Broom (with Plastic cane) & (with Plastic pipe)

(C.G LAGHU VANOPAJ SANGH)

LIST OF UNSUCCESSFUL TENDERERS (Condition 7 of e-Tender Notice)

Tender Opening Date :

S.No.	Tenderer's Name	Deposited E.M.D. to be Refunded (In Rs.)

Annexure – VIII

परिशिष्ट- VIII

Instructions for the Submission of the Online Tender

(Condition 5(II) of Tender Notice)

Note: *The following steps need to be carried out for online submission of the Tender. Detailed instructions for each of the steps are given in the Tenderer's Manual on the Home Page of <https://cgmpfed.abcprocure.com>.*

1. Sequence of steps for online tender submission:

Step 1 – To obtain Digital Signature Certificate (DSC) :

The DSC is issued by an approved certifying authority, authorized by the Controller of Certifying Authorities (CCA), Government of India. The individual may obtain information required for issuance of a Class II / Class IV DSC from the Controller of Certifying Authorities (www.cca.gov.in). The tenderer will have to obtain DSC from <https://cgmpfed.abcprocure.com> or any other CCA approved agency.

DSC is issued upon receipt of mandatory identity proofs and verification letters attested by a Gazetted Officer. Only upon the receipt of the required documents, a DSC can be issued.

Important Note: The offers submitted online should be signed electronically with a DSC to establish the identity of the tenderer. In case, during the process of a particular tender, the user loses his / her DSC (eg. due to virus attack, hardware problem, operating system problem etc.) he may not be able to submit the offer online. Hence the users are advised to back up the certificate and keep the copies at safe places under proper security to be used in case of emergencies.

In case of online tendering, the DSC issued to the authorized user of a firm and used for electronic tendering will be considered equivalent to no-objection certificate / power of attorney to that user. The firm has to authorize a specific individual via an authorization certificate signed by all partners to use the DSC as per Indian *IT Act 2000*. Unless the certificate is revoked, it shall be assumed to represent adequate authority of the user to submit tender on behalf of the firm for the Chhattisgarh State Minor Forest Produce (Trading & Development) Co-op. Federation Limited (C.G.M.F.P. Federation) tenders as per *Information Technology Act 2000*. The DSC of this authorized user will be binding on the firm. It shall be the responsibility of management / partners of the registered firm to inform the Certifying Authority or Sub-Certifying Authority, if the authorized user changes, and apply for a fresh digital certificate and issue a fresh '**authorization certificate**' for the new user.

The same procedure holds true for the authorized users in a Private / Public company. In this case, the authorization certificate will have to be signed by the directors of the company.

Step 2 – Online registration of intending tenderer:

In order to participate in the tender, the tenderer is required to be registered on the e-Procurement portal (<https://cgmpfed.abprocure.com>). Only after online registration of the tenderer, the tenderer shall be allowed to participate in the tenders floated by the C.G.M.F.P. Federation using the e-Procurement System.

The following Registration Fee will be charged by the Service Provider (i.e. e-Procurement Technologies Limited) from the tenderer:

Sl. No.	Description	Charges	GST @ 18%	Total Amount
1.	Online Registration (Valid for One Year)	Rs. 3000/-	Rs. 540/-	Rs. 3540/-

Documents required for Registration with the e-Procurement portal

(I) In case of Renewal – No documents required for renewal of registration on the e-procurement portal.

(II) In case of New Registration – The following documents required alongwith online registration form :-

(a) Individual or Proprietorship Firm –

Any one ID Proof and One Address Proof (Attested by Banker or Notary or Gazetted Officer as well as Self Attested)

ID Proof	PAN Card	Address Proof	Electricity Bill
	Passport		Passport
	Voter ID		Voter ID
	Driving License		Driving License
	Aadhaar Card		Bank Pass Book
			Aadhaar Card

(b) Partnership Firm –

(i) Any one ID Proof and One Address Proof (Attested by Banker or Notary or Gazetted Officer as well as Self Attested)

ID Proof	PAN Card	Address Proof	Electricity Bill
	Passport		Passport
	Voter ID		Voter ID
	Driving License		Driving License
	Aadhaar Card		Bank Pass Book
			Aadhaar Card

(ii) Partnership Deed details which have to be attested by partners with their company seal.

(c) Pvt. & Ltd. Company –

- (i) Any one ID Proof and One Address Proof** (Attested by Banker or Notary or Gazetted Officer as well as Self Attested)

ID Proof	PAN Card	Address Proof	Electricity Bill
	Passport		Passport
	Voter ID		Voter ID
	Driving License		Driving License
	Aadhaar Card		Bank Pass Book
			Aadhaar Card

- (ii) Any one of the Organization proof issued by Government** (Attested by authorized signatory of Organization alongwith organization seal)

- **Certificate of Incorporation**
- **Articles of Incorporation**
- **Memorandum of Association**

(d) Hindu Undivided Family (H.U.F.) –

- Any one ID Proof and One Address Proof** (Attested by Banker or Notary or Gazetted Officer as well as Self Attested)

ID Proof	PAN Card	Address Proof	Electricity Bill
	Passport		Passport
	Voter ID		Voter ID
	Driving License		Driving License
	Aadhaar Card		Bank Pass Book
			Aadhaar Card

The scanned copies of all required documents as above and payment proof of required fees for New registration and only payment proof of required fees for renewal are required to submit by the intending tenderer to e-Procurement Technologies Limited (abc Procure). After verification of the above documents the e-Procurement Technologies Limited (abcProcure) will register the Tenderer and inform by the e-mail accordingly.

After obtaining the Digital Certificate successfully installed on their system, the tenderer have to be online registered through “**New Bidder Registration**” page of the e-Procurement portal (<https://cgmpfed.abcprocure.com>) and mapped their Digital Certificate.

After online registration your registration will be approved by the Service Provider and intimate the same to the tenderer. The tenderer will be informed about the Tenderer’s Code, login Id & password. The login Id and password will be required for online tender preparation and the Tenderer’s Code will be used for making EMD payment through RTGS / NEFT mode, if opted for.

Step 3 – Online tender preparation

1. Filling of Tenderer's Information - Form No. 1 of Annexure – II
2. Filling of Lotwise Rate Offer - Form No. 2 of Annexure – II
3. Upload of required documents - Form No. 3 of Annexure – II
4. Acceptance of Tenderer's Agreement - Annexure – IV

Step 4 – Online payment of E.M.D.

EMD can be paid online through Net-banking / Debit Cards / Credit Cards / RTGS / NEFT mode. In case, RTGS / NEFT mode is opted for, the detailed procedure is given below at point no. 2.2.

It will be solely the tenderer's choice to select any of these payment options viz. Net-banking / Debit Cards / Credit Cards / RTGS / NEFT, best suited to him. It is understood that the tenderer is aware of the payment cycle and other technical requirements/ payment process under each of these modes. It is tenderer's responsibility to see that the amount of EMD is credited to C.G.M.F.P Federation.

Step 5 – Final submission of the tender.

2. Other Information:

2.1 Set-up of Machine:

In order to operate on the e-Procurement System, following minimum operating system and hardware is required.

- Windows XP with service pack 3
- Windows vista / windows 7
- Browser Internet Explorer 7, 8 or 9
- Minimum bandwidth 512 kbps
- Minimum RAM 2 GB

2.2 Procedure of payment of EMD through RTGS / NEFT mode :

Since RTGS / NEFT payments are settled by RBI in batches, intended EMD amount is required to be paid at least one day in advance of online tender submission by following procedure:

A. Please mention the following details while making the RTGS / NEFT payment from your Bank:

- (i) Beneficiary account number – This will be in the following format:
<CGMF+ Tenderer Code>

For example, in case your Tenderer Code is ABC66215, the beneficiary account number will be **CGMFABC66215**.

- (ii) Beneficiary bank branch - **ICICI Bank, CMS, Mumbai**
(IV) Beneficiary IFSC code - **ICIC0000104**

- B.** After completing the online tender preparation formalities, select RTGS / NEFT payment option at the EMD payment screen. Upon doing so, you shall be able to view the funds already remitted by you through NEFT / RTGS as available balance in beneficiary account. Tenderer should note that available balance against their name in ICICI Bank is not E.M.D amount available with C.G.M.F.P Federation.
- C.** Please proceed to deposit the E.M.D from available balance. Upon doing so, the required amount to be paid for the EMD shall get appropriately deducted from the amount remitted and payment of E.M.D shall be confirmed & receipt will be generated in real time.
- D.** In case there is excess remittance i.e. money not transferred for use as E.M.D, the refund of the same can be claimed by the tenderer simultaneously. On submitting refund request, the amount would be transferred in the bank account opted by you by next working day.
- E.** In case, tenderer wants to utilize the excess fund (i.e. the remaining available balance) for participating in next round of tender by Federation under e-Procurement portal, they may do so instead of taking refund.

Please feel free to get in touch with our e-procurement support team / ICICI Bank support team in case any clarification is required.

2.3

Submission of Online Offers:

C.G.M.F.P Federation will not be responsible for any failure on part of the tenderer in submission of the Tender and / or the EMD etc. before scheduled time and date, for any reason whatsoever, including, inter-alia, non-credit of said amounts of EMD and therefore no claims shall be entertained on these grounds.

Under this online payment system for e-Tendering, the tenders will not be submitted / received by C.G.M.F.P Federation unless the EMD is received / credited before scheduled time and date. Hence, tenderer shall remit the said amount well in advance. It is clarified that the Tenders will not be considered for opening if EMD is not received / credited before schedule time and date, for any reason whatsoever.

The tenderer is advised to submit his / her tender as well as pay the EMD amount well before the cut-off time and date to avoid any inconvenience on account of any problem e.g. system slow down or network problem.

2.4 Helpline:

For any assistance regarding Registration on e-Procurement portal, DSC, online tender form submission and other points of e-tendering process, please contact our service provider :-

e-Procurement Technologies Ltd., Ahmedabad on following contact details

Phone No.: 079 68136878 / 45 / 49 / 50 / 54 / 48 / 33

Email ID – support@abcprocure.com

For Registration Support:

Mr. Himalay Vaishnav (Mb – 09099090830)
Mr. Sonu Tank (Mb – 06353217080)

For Technical Support:

Mr. Nandan Valera (Mb – 09374519729)
Mr- Nikhil Khalas (Mb – 9374519729)

For any assistance regarding banking transactions, please contact ICICI Bank, Civil Lines, Raipur at the following numbers:

Mr. Aman Chandan	– 8585015366
Mr. Shoeb Danish	– 9406204554

**MANAGING DIRECTOR
Chhattisgarh State Minor Forest Produce
(Trading & Development) Co-op.
Federation Limited**

Time Schedule

Annexure – IX

(Annexure to e-Tender Notification No./Vanopaj/Trade/M.S.P./2021/X Dated 28.06.2021)

E-Tender Details For Tamarind (with seed), Tamarind (De-seeded), Tamarind Seed, Black Berry (Pulp), Black Berry (Seed), Marking Nut, Baheda, Baheda Kachariya, Kalmegh, Giloy, Harra, Harra Kachariya, Van Tulsi, Bel Guda, Vidari Kand, Chironji Seed, Mahul Leaf, Satawar Dry, Tamarind (De-seeded) Bricks (Packet of 500 gm.), Cashew Nut, Chironji Seed Rangini Lac (Dana) & Kusumi Lac (Dana), Mahua Oil & Broom (with Plastic cane) & (with Plastic pipe)

(19.07.2021 to 22.07.2021) (First Round)

e- Tender Detail	
General Detail	
e- Tender No / Commodity :	Notification No./Vanopaj/Trade/M.S.P./2021/X Dated 28.06.2021
Department Name :	Chhattisgarh State Minor Forest Produce (Trading & Development) Co-operative Federation Limited.
Scope of work :	Tamarind (with seed), Tamarind (De-seeded), Tamarind Seed, Black Berry (Pulp), Black Berry (Seed), Marking Nut, Baheda, Baheda Kachariya, Kalmegh, Giloy, Harra, Harra Kachariya, Van Tulsi, Bel Guda, Vidari Kand, Chironji Seed, Mahul Leaf, Satawar Dry, Tamarind (De-seeded) Bricks (Packet of 500 gm.), Cashew Nut, Chironji Seed Rangini Lac (Dana) & Kusumi Lac (Dana), Mahua Oil & Broom (with Plastic cane) & (with Plastic pipe)
e- Tender Details :	Tamarind (with seed), Tamarind (De-seeded), Tamarind Seed, Black Berry (Pulp), Black Berry (Seed), Marking Nut, Baheda, Baheda Kachariya, Kalmegh, Giloy, Harra, Harra Kachariya, Van Tulsi, Bel Guda, Vidari Kand, Chironji Seed, Mahul Leaf, Satawar Dry, Tamarind (De-seeded) Bricks (Packet of 500 gm.), Cashew Nut, Chironji Seed Rangini Lac (Dana) & Kusumi Lac (Dana), Mahua Oil & Broom (with Plastic cane) & (with Plastic pipe)
Mode of Bids Submission :	Online e-Tender
e-Tender Type :	English Forward e- Tender
Type of Contract :	Sale of Collected and Godowned MFPs under Govt. of India Minimum Support Price Scheme
Bidding Type :	National
Consortium :	Not Allowed
Download e- Tender Documents :	Before Login / After Login

Purchaser Location :	Any where in India
Key Dates	
Document Download Start Date & Time :	09-07-2021 from 17:00:00
Starting Date & Time of online Tender Submission :	19-07-2021 from 11:00:00
Ending Date & Time of online Tender Submission :	22-07-2021 upto 16:00:00
Date & Time of Tender opening :	22-07-2021 upto 16:10:00 onwards
Bid Validity Period (Days) :	Till the decision of e-Tender

Project Duration :	As per e-Tender document
Document to be submitted Physically :	NIL
e- Tender Activity configuration	
Mode of EMD payment :	Online
Payment Details	
EMD Amount :	As per e-Tender document
Details	
Eligibility Criteria :	As per e-Tender document
General Terms and condition :	As per e-Tender document
Other Details :	As per e-Tender document
Product / Service / Works Keywords :	Sale of collected and godowned

Time Schedule

Annexure – IX

(Annexure to e-Tender Notification No./Vanopaj/Trade/M.S.P./2021/X Dated 28.06.2021)

Tamarind (with seed), Tamarind (De-seeded), Tamarind Seed, Black Berry (Pulp), Black Berry (Seed), Marking Nut, Baheda, Baheda Kachariya, Kalmegh, Giloy, Harra, Harra Kachariya, Van Tulsi, Bel Guda, Vidari Kand, Chironji Seed, Mahul Leaf, Satawar Dry, Tamarind (De-seeded) Bricks (Packet of 500 gm.), Cashew Nut, Chironji Seed Rangini Lac (Dana) & Kusumi Lac (Dana), Mahua Oil & Broom (with Plastic cane) & (with Plastic pipe)

(16.08.2021 to 18.08.2021) (Second Round)

e- Tender Detail	
General Detail	
e- Tender No / Commodity :	Notification No./Vanopaj/Trade/M.S.P./2021/X Dated 28.06.2021
Department Name :	Chhattisgarh State Minor Forest Produce (Trading & Development) Co-operative Federation Limited.
Scope of work :	Tamarind (with seed), Tamarind (De-seeded), Tamarind Seed, Black Berry (Pulp), Black Berry (Seed), Marking Nut, Baheda, Baheda Kachariya, Kalmegh, Giloy, Harra, Harra Kachariya, Van Tulsi, Bel Guda, Vidari Kand, Chironji Seed, Mahul Leaf, Satawar Dry, Tamarind (De-seeded) Bricks (Packet of 500 gm.), Cashew Nut, Chironji Seed Rangini Lac (Dana) & Kusumi Lac (Dana), Mahua Oil & Broom (with Plastic cane) & (with Plastic pipe)
e- Tender Details :	Tamarind (with seed), Tamarind (De-seeded), Tamarind Seed, Black Berry (Pulp), Black Berry (Seed), Marking Nut, Baheda, Baheda Kachariya, Kalmegh, Giloy, Harra, Harra Kachariya, Van Tulsi, Bel Guda, Vidari Kand, Chironji Seed, Mahul Leaf, Satawar Dry, Tamarind (De-seeded) Bricks (Packet of 500 gm.), Cashew Nut, Chironji Seed Rangini Lac (Dana) & Kusumi Lac (Dana), Mahua Oil & Broom (with Plastic cane) & (with Plastic pipe)
Mode of Bids Submission :	Online e-Tender
e-Tender Type :	English Forward e- Tender
Type of Contract :	Sale of Collected and Godowned MFPs under Govt. of India Minimum Support Price Scheme

Bidding Type :	National
Consortium :	Not Allowed
Download e- Tender Documents :	Before Login / After Login
Purchaser Location :	Any where in India

Key Dates

Document Download Start Date & Time :	07-08-2021 from 17:00:00
Starting Date & Time of online Tender Submission :	16-08-2021 from 11:00:00
Ending Date & Time of online Tender Submission :	18.08.2021 upto 16:00:00
Date & Time of Tender opening :	18.08.2021 upto 16:10:00 onwards
Bid Validity Period (Days) :	Till the decision of e-Tender

Project Duration :	As per e-Tender document
Document to be submitted Physically :	NIL

e- Tender Activity configuration

Mode of EMD payment :	Online
-----------------------	---------------

Payment Details

EMD Amount :	As per e-Tender document
--------------	--------------------------

Details

Eligibility Criteria :	As per e-Tender document
General Terms and condition :	As per e-Tender document
Other Details :	As per e-Tender document
Product / Service / Works Keywords :	Sale of collected and godowned

Time Schedule

Annexure – IX

(Annexure to e-Tender Notification No./Vanopaj/Trade/M.S.P./2021/X Dated 28.06.2021)

Salseed, Atti Imli, Tamarind Flower (Seed less), Imli Seed, Imli Bricks (Packet of 500 gm.), Bhelwa, Baheda, Baheda Katchariya, Jamun Pulp, Giloy, Kalmegh, Harra, Harra Kachariya, Broom (with Plastic cane) or (with Plastic pipe), Van Tulsi, Puval (Charota) Bel Guda, Patal Kumhada (Bedari Kand), Rangini Lac (Processed Dana) & Kusumi Lac (Processed Dana), Mahua Flower (Dry), Koriya Chhal, Jamun Seed (Dry) & Chirounji Guthali

(20.09.2021 to 22.09.2021) (Third Round)

e- Tender Detail	
General Detail	
e- Tender No / Commodity :	Notification No./Vanopaj/Trade/M.S.P./2021/X Dated 28.06.2021
Department Name :	Chhattisgarh State Minor Forest Produce (Trading & Development) Co-operative Federation Limited.
Scope of work :	Tamarind (with seed), Tamarind (De-seeded), Tamarind Seed, Black Berry (Pulp), Black Berry (Seed), Marking Nut, Baheda, Baheda Kachariya, Kalmegh, Giloy, Harra, Harra Kachariya, Van Tulsi, Bel Guda, Vidari Kand, Chironji Seed, Mahul Leaf, Satawar Dry, Tamarind (De-seeded) Bricks (Packet of 500 gm.), Cashew Nut, Chironji Seed Rangini Lac (Dana) & Kusumi Lac (Dana), Mahua Oil & Broom (with Plastic cane) & (with Plastic pipe)
e- Tender Details :	Tamarind (with seed), Tamarind (De-seeded), Tamarind Seed, Black Berry (Pulp), Black Berry (Seed), Marking Nut, Baheda, Baheda Kachariya, Kalmegh, Giloy, Harra, Harra Kachariya, Van Tulsi, Bel Guda, Vidari Kand, Chironji Seed, Mahul Leaf, Satawar Dry, Tamarind (De-seeded) Bricks (Packet of 500 gm.), Cashew Nut, Chironji Seed Rangini Lac (Dana) & Kusumi Lac (Dana), Mahua Oil & Broom (with Plastic cane) & (with Plastic pipe)
Mode of Bids Submission :	Online e-Tender
e-Tender Type :	English Forward e- Tender

Type of Contract :	Sale of Collected and Godowned MFPs under Govt. of India Minimum Support Price Scheme
Bidding Type :	National
Consortium :	Not Allowed
Download e-Tender Documents :	Before Login / After Login
Purchaser Location :	Any where in India

Key Dates

Document Download Start Date & Time :	10-09-2021 from 17:00:00
Starting Date & Time of online Tender Submission :	20-09-2021 from 11:00:00
Ending Date & Time of online Tender Submission :	22.09.2021 upto 16:00:00
Date & Time of Tender opening :	22.09.2021 upto 16:10:00 onwards
Bid Validity Period (Days) :	Till the decision of e-Tender

Project Duration :	As per e-Tender document
Document to be submitted Physically :	NIL

e-Tender Activity configuration

Mode of EMD payment :	Online
-----------------------	---------------

Payment Details

EMD Amount :	As per e-Tender document
--------------	--------------------------

Details

Eligibility Criteria :	As per e-Tender document
General Terms and condition :	As per e-Tender document
Other Details :	As per e-Tender document
Product / Service / Works Keywords :	Sale of collected and godowned